घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com **अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 255- गुरूवार 16- जुलाई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये** RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट खफा

सलवार उतारना और ब्रेस्ट दबाना दुष्कर्म की कोशिश नहीं

पटना,15 जुलाई 2026। किसी महिला का सलवार उतारने की कोशिश करना और उसके सीने को दबाकर शारीरिक छेड़छाड़ करना दुष्कर्म का प्रयास नहीं माना जा सकता। पटना हाई कोर्ट के इस हालिया फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई की। संकेत दिया कि अदालत पटना हाई कोर्ट के आदेश पर विस्तृत टिप्पणी करेगी। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन भी शामिल थे। यह सुनवाई उस स्वतः संज्ञान (सुओ मोटो) मामले में हो रही थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक विवादित फैसले के बाद शुरू किया था। उसी मामले में अदालत ने यौन अपराधों की सुनवाई के दौरान न्यायिक संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने अदालत का ध्यान पटना हाई कोर्ट के हालिया आदेश की ओर आकर्षित किया था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट का विवादित फैसला रद किए जाने के बावजूद पटना हाई कोर्ट ने लगभग समान परिस्थितियों में वैसी ही टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट रुख के बावजूद इस तरह के आदेश बार-बार सामने आ रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता एच.एस. फूलका ने भी इस मुद्दे पर उनका समर्थन किया।इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि कई बार पर्याप्त शोध और कानूनी अध्ययन के अभाव में ऐसे फैसले सामने आ जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पटना हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट भी विस्तृत आदेश पारित करेगा।

भारत-ब्रिटेन सीईटीए लागू होने से व्यापारिक संबंधों को मिलेगी नई गति : प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली,15 जुलाई 2026। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (सीईटीए) तथा सामाजिक सुरक्षा समझौते के लागू होने का स्वागत करते हुए इसे दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी में मील का पत्थर बताया है। उन्होंने कहा कि इन समझौतों से दोनों देशों के आर्थिक संबंध और अधिक गहरे होंगे तथा किसानों, उद्यमियों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए नए अवसर खुलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की एक्स पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत-ब्रिटेन साझेदारी के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। उन्होंने कहा कि व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) और सामाजिक सुरक्षा समझौते के लागू होने से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाएं ठोस अवसरों में परिवर्तित होंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीईटीए भारतीय किसानों, उद्यमियों और एमएसएमई क्षेत्र को नई गति प्रदान करेगा। इससे कई प्रमुख भारतीय उद्योगों को ब्रिटेन के बाजार तक अधिक सशक्त पहुंच मिलेगी। साथ ही प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा तथा कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से कार्यरत भारतीय पेशेवरों को महत्वपूर्ण राहत देगा और भारतीय उद्यमों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करेगा।

सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई को गाली देने वाला लॉ स्टूडेंट गिरफ्तार,दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

नई दिल्ली,15 जुलाई 2026। सुप्रीम कोर्ट में 10 जुलाई को सुनवाई के दौरान कथित अभद्र व्यवहार और हंगामा करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने लॉ के दो छात्रों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रबल प्रताप और चंदर भान के रूप में हुई है। दोनों लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि (लॉ) के छात्र बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार, इस मामले में तिलक मार्ग थाने में सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षा स्टाफ की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। मामला 10 जुलाई का है, जब प्रबल प्रताप एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। पुलिस का कहना है कि प्रबल प्रताप सिंह स्वयं अपने मामले की पैरवी कर रहे थे। आरोप है कि सुनवाई के दौरान उन्होंने अदालत की कार्यवाही में बाधा डाली, अभद्र और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया तथा कोर्ट रूम के भीतर कागज फेंककर हंगामा किया। एफआईआर के अनुसार,जब सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति को नियंत्रित करने और अदालत की गरिमा बनाए रखने का प्रयास किया।

कैबिनेट ने वाराणसी में 14,448 करोड़ रुपये की गंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी

नई दिल्ली,15 जुलाई 2026। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 14,447.64 करोड़ रुपये की लागत से 46.039 किलोमीटर लंबे छह लेन के ग्रीनफील्ड गंगा एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में इस परियोजना पर मुहर लगाई गई। राष्ट्रीय राजमार्ग-19 (एनएच-19) को वाराणसी रिंग रोड से जोड़ने वाली यह परियोजना शहर में यातायात जाम कम करने, गंगा तट के साथ बेहतर संपर्क स्थापित करने और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत विकसित की जाएगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि वाराणसी में हर वर्ष 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। काशी में बढ़ते आवागमन और यातायात दबाव को देखते हुए सरकार ने शहर के परिवहन ढांचे को नई ऊंचाई देने के लिए इस महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि परियोजना में छह लेन का एलिवेटेड मुख्य मार्ग, 910 मीटर लंबा शानदार केबल-स्टेयड ब्रिज, 1.32 किलोमीटर लंबा एक्स्ट्राडोज्ड फुट ओवरब्रिज-सह-प्रमुख पुल, लूप, रैंप, लिंक रोड और सर्विस रोड का निर्माण

किया जाएगा। परियोजना की कुल लागत में 6,037.85 करोड़ रुपये निर्माण कार्य तथा 541.11 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण पर खर्च किए जाएंगे। यह कॉरिडोर एनएच-19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच निर्बाध संपर्क उपलब्ध कराएगा तथा शहर के सड़क नेटवर्क पर यातायात का दबाव काफी कम करेगा। 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति वाले इस मार्ग के बनने से परियोजना क्षेत्र में औसत यात्रा समय 60 मिनट से घटकर 20 मिनट रह जाएगा। वहीं, एनएच-19 से काशी रेलवे स्टेशन तक पहुंचने का समय 50 मिनट से घटकर लगभग 25 मिनट हो जाएगा। यह परियोजना पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप वाराणसी के बहु-माध्यमीय परिवहन नेटवर्क को मजबूत करेगी। इससे एनएच-19, वाराणसी रिंग रोड, लालबहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, काशी रेलवे स्टेशन, बनारस रेलवे स्टेशन, वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और रामनगर अंतर्देशीय जलमार्ग (आईडब्ल्यूएआई) पोर्ट के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा।

केंद्र ने ओडिशा व झारखंड में रेलवे की दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को दी मंजूरी

केंद्र सरकार ने ओडिशा और झारखंड में रेल मंत्रालय की 3,907 करोड़ रुपये की लागत वाली दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को बुधवार को मंजूरी दी। ओडिशा और झारखंड के चार जिलों में प्रस्तावित इन परियोजनाओं से रेलवे नेटवर्क में करीब 145 किलोमीटर की वृद्धि होगी तथा इन्हें वर्ष 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में इस परियोजना पर मुहर लगाई गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में पत्रकार वार्ता में मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने पारादीप-हरिदासपुर रेलखंड के दोहरीकरण तथा राजखरसावां-डांगोआपोसी रेलखंड पर चौथी लाइन बिछाने की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इन

चिप उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी

केन्द्र सरकार ने सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी है और इसके लिए कुल बजट 1.27 लाख करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र में अश्वनी वैष्णव ने कहा कि देश में सेमीकंडक्टर क्षेत्र को सतत और दीर्घकालिक समर्थन की आवश्यकता को पहचानते हुए और सेमीकॉन 1.0 के तहत आई गति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी गई है। इसका लक्ष्य देश को विश्व के सेमीकंडक्टर मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को और आगे बढ़ाना है। सेमिकॉन 2.0 के तहत भारत को सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए छह प्रमुख स्तंभ तय किए गए हैं। पहले स्तंभ में चिप डिजाइन को बढ़ावा देकर भारतीय कंपनियों को नई तकनीक और बौद्धिक संपदा (आईपी) विकसित करने में सहायता दी जाएगी। दूसरे स्तंभ के तहत चिप बनाने में काम आने वाली मशीनों, रसायनों, गैसों और अन्य सामग्री के निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। तीसरे स्तंभ में देश में अधिक सेमीकंडक्टर फैब (चिप निर्माण संयंत्र) स्थापित करने पर जोर होगा। इतिहास चौथे स्तंभ के अंतर्गत चिप पैकेजिंग और परीक्षण (एटीएमपी/ओसैट) उद्योग को मजबूत किया जाएगा। पांचवें स्तंभ में देश-विदेश के प्रमुख संस्थानों के सहयोग से उन्नत चिप तकनीकों पर अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।

पंजाब,कर्नाटक,दिल्ली की एसआईआर तारीखों में बदलाव,अगस्त तक बीएलओ जायेंगे घर-घर

नई दिल्ली,15 जुलाई 2026। चुनाव आयोग ने पंजाब, कर्नाटक और दिल्ली की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया से जुड़ी तारीखों में बदलाव किया है। चुनाव आयोग ने संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए तारीखों में बदलाव की घोषणा की है। दिल्ली और कर्नाटक में अब 08 अगस्त तक बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर फॉर्म वितरण एवं एकत्र कर सकेंगे। पहले यह तारीख 30 जून थी। इसके अलावा मतदाता केंद्रों के पुनर्वर्गीकरण को 08 अगस्त तक समाप्त करना होगा। दोनों राज्यों से जुड़ी मसौदा मतदाता सूची 17 अगस्त को जारी की जाएगी। इन पर 16 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराए जा सकते हैं और 15 अक्टूबर तक सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को जारी होगी। वहीं, पंजाब में बीएलओ 03 अगस्त तक घर-घर जा सकते हैं। 03 अगस्त तक ही मतदान केन्द्रों का पुनर्वर्गीकरण होगा। मसौदा मतदाता सूची 13 अगस्त को जारी की जाएगी 12 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। इनका निस्तारण 08 अक्टूबर तक किया जाना है। 12 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।

भारत तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका ठुकराई,हाईकोर्ट जाने की सलाह..

नई दिल्ली,15 जुलाई 2026। बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में 17 जून 2026 को हुए चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। इस मामले की निष्पक्ष जांच और अन्य मांगों को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई करने से शीर्ष अदालत ने साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को सीधे सुप्रीम कोर्ट के बजाय पहले पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की सलाह दी है। न्यायालय का मानना है कि इस मामले में अभी कानूनी प्रक्रिया के तहत स्थानीय स्तर पर उपाय अपनाए जाने चाहिए, जिसके बाद ही उच्च न्यायालय का रुख करना उचित होगा।

सीबीआई जांच और स्वतंत्र समिति की मांग पर बढ़ा दबाव : याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी कि इस एनकाउंटर की जांच पूरी तरह से निष्पक्ष होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराने की पुरजोर मांग रखी थी। याचिका में यह भी आग्रह किया गया था कि मामले की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए। याचिकाकर्ता का तर्क था कि स्थानीय पुलिस की भूमिका पर संदेह है, इसलिए मामले की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए स्वतंत्र जांच एजेंसी का हस्तक्षेप आवश्यक है। याचिका में एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग भी शामिल थी। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से आग्रह किया था कि कथित मुठभेड़ में शामिल पुलिस टीम के विरुद्ध तत्काल स्रढ्ढक्रदर्ज करने का निर्देश दिया जाए। साथ ही, यह मांग की गई कि यदि जांच के दौरान कोई भी अनियमितता या कानून का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। यह बिंदु इस पूरे मामले का एक बेहद संवेदनशील पहलू है, जिस पर भविष्य में कानूनी बहस होने की पूरी संभावना है। सिर्फ जांच ही नहीं, बल्कि इस मामले में पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई थी। याचिका में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एनकाउंटर में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को आर्थिक और कानूनी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम मांगों पर कोई टिप्पणी करने से फिलहाल परहेज किया है।

पूर्व मंत्री के घर पर हंगामा...बेटी को पिता का पार्थिव शरीर छूने की इजाजत नहीं मिली

परिवार के सदस्यों और समर्थकों ने उन्हें अपने पिता के पार्थिव शरीर को छूने से रोक दिया

अमरावती,15 जुलाई 2026। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के किर्लामपुडी में बुधवार को पूर्व मंत्री मुद्रगाडा पद्मनाभम के आवास पर उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जब उनकी बेटी बरलापुडी क्रांति वहां पहुंचीं। परिवार के सदस्यों और समर्थकों ने उन्हें अपने पिता के पार्थिव शरीर को छूने से रोक दिया।

बताया जाता है कि मंगलवार को निधन से पहले कापू नेता ने अपने परिवार से इच्छा जताई थी कि उनकी बेटी को उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने दिया जाए। मुद्रगाडा पद्मनाभम और उनकी बेटी के बीच 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान मतभेद गहरा गए थे। उस समय क्रांति ने जन सेना पार्टी के नेता पवन कल्याण का खुलकर समर्थन किया था। क्रांति ने पवन कल्याण को कापू समुदाय का नेता बताते हुए अपने पिता के उस बयान की आलोचना की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि वह पिथापुरम विधानसभा सीट से पवन कल्याण को हराने में सफल नहीं हुए तो अपना नाम बदलकर 'पद्मनाभम रेड्डी' रख लेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि वह पवन कल्याण को पिथापुरम से बाहर कर देंगे। पवन कल्याण की जीत के बाद पद्मनाभम ने अपना नाम बदलकर 'पद्मनाभ रेड्डी' रख लिया था। यह भी बताया जाता है कि उन्होंने परिवार से कहा था कि उनके निधन के बाद उनकी बेटी को उनके पार्थिव शरीर के पास न आने दिया जाए।

पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर भूपेश बघेल ने कहा-गुड्डे-गुड़ियों का खेल नहीं

नई दिल्ली,15 जुलाई 2026। कांग्रेस पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने राज्य में चन्नी गुट और अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के गुटों के खींचतान के बीच चल रही नेतृत्व परिवर्तन की खबरों को नकार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे नेतृत्व परिवर्तन आसान नहीं है। समयऔर कैलेंडर पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने प्रदेश के हालिया घटनाक्रम पर अपनी रिपोर्ट संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंप दी है और अब आगे का फैसला पार्टी आलाकमान करेगा। उन्होंने छह दिवसीय दौरे के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठकों में हिस्सा लिया और नेताओं से व्यक्तिगत स्तर पर भी चर्चा की। रिपोर्ट की विषयवस्तु सार्वजनिक नहीं की जाएगी। उन्होंने पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर कहा कि यह 'गुड्डे-गुड़ियों का खेल' नहीं है।

सोनम वांगचुक की सेहत बिगड़ी...अनशन पर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा मामला,बढ़ी चिंता लगातार

नई दिल्ली,15 जुलाई 2026। दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले 18 दिनों से शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। नीट पेपर लीक मामले के विरोध में शुरू हुआ यह आंदोलन अब एक गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। निरंतर उपवास के कारण वांगचुक की शारीरिक स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो गई है। आंदोलनकारियों और चिकित्सकों के अनुसार, उनका वजन 8.5 किलोग्राम तक घट गया है। उनकी स्वास्थ्य रिपोर्ट में ब्लड प्रेशर गिरकर 107/70 एमएमएचजी और ब्लड शुगर का स्तर 67 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक पहुंच गया है। शारीरिक कमजोरी इतनी अधिक है कि उन्हें उठने-बैठने में चक्कर आने की समस्या हो रही है और दैनिक कार्यों में भी भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है।

जान बचाने के लिए अदालत का दरवाजा जबरन भोजन कराने की याचिका

सोनम वांगचुक की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए वकील राकेश कुमार सैनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है। याचिका में केंद्र और दिल्ली सरकार को तत्काल निर्देश देने की मांग की गई है कि

वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया जाए और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें जबरन भोजन कराया जाए।

याचिकाकर्ता ने चेतावनी दी है कि यदि उपवास इसी तरह जारी रहा, तो अगले 48 घंटों के भीतर उनके जीवन पर गंभीर संकट आ सकता है। याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद की जान जाना देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा,अतः प्रशासन को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए।

20 जुलाई को संसद तक पदयात्रा का ऐलान : एक ओर जहाँ अदालत में उनकी जान बचाने के लिए कानूनी प्रक्रिया चल रही है, वहीं दूसरी ओर आंदोलन के आयोजकों ने अपने संघर्ष को और तेज करने का निर्णय लिया है। वांगचुक के समर्थन में 20 जुलाई को संसद तक एक विशाल 'पदयात्रा' निकालने की घोषणा की गई है। इस पदयात्रा के माध्यम से प्रदर्शनकारी सरकार पर अपनी मांगों को पूरा करने का दबाव बनाएंगे। फिलहाल, सोनम वांगचुक का जंतर-मंतर पर संघर्ष जारी है और सभी की निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं कि क्या सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कोई ठोस निर्णय लेगी या स्थिति और अधिक गंभीर रूप धारण करेगी। प्रशासनिक स्तर पर भी इस मामले में सतर्कता बढ़ा दी गई है।

नीट पेपर लीक के विरोध में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

सोनम वांगचुक का यह प्रदर्शन देश की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा 'नीट' में हुई कथित धांधली और पेपर लीक के विरोध में है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर यह मोर्चा खोला है। जंतर-मंतर पर सफेद गद्दों पर लेटे वांगचुक की तस्वीरें उनके समर्थकों में चिंता पैदा कर रही हैं। वे न केवल शारीरिक दर्द सहन कर रहे हैं, बल्कि अपनी मांगों पर अडिग रहने का संकल्प भी दोहरा रहे हैं। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी केंद्र सरकार से अपील की है कि प्रदर्शनकारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए क्योंकि अब मानवीय जीवन दांव पर लगा है।

भारत-यूके व्यापार समझौता लागू...99% भारतीय निर्यात को मिलेगी शुल्क-मुक्त पहुंच

नई दिल्ली,15 जुलाई 2026। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) बुधवार से लागू हो गया। इसे हाल के वर्षों में भारत के सबसे बड़े और व्यापक मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) में से एक माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इस समझौते से किसानों, श्रमिकों, एमएसएमई, निर्यातकों, स्टार्टअप और सेवा क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा, जबकि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में लागू होने वाला यह छठा मुक्त व्यापार समझौता है। इससे पहले भारत मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) और ओमान के साथ ऐसे समझौते लागू कर चुका है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के अनुसार, सीईटीए केवल आयात-निर्यात शुल्क घटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यापार, निवेश, सेवाओं और रोजगार के नए अवसरों का व्यापक ढांचा तैयार करेगा। इससे टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाएं कम होंगी तथा भारतीय उद्योगों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। समझौते के तहत भारत के लगभग 99 प्रतिशत निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी। वहीं, ब्रिटेन से आयात होने वाले कई उत्पादों पर सीमा शुल्क कम होने से उनकी कीमतों में भी कमी आने की संभावना है। इसके अलावा पहली बार ब्रिटेन की कंपनियां भारत सरकार की करीब 40 हजार उच्च मूल्य वाली सरकारी निविदाओं में भाग ले सकेंगी। इससे परिवहन, हरित ऊर्जा और बुनियादी ढांचा जैसे क्षेत्रों में निवेश और प्रतिस्पर्धा बढ़ने की उम्मीद है। सीईटीए में कुल 30 अध्याय शामिल हैं, जिनमें डिजिटल व्यापार,

सरकारी खरीद, एमएसएमई, निवेश, बौद्धिक संपदा, श्रम, पर्यावरण और सेवा क्षेत्र से जुड़े नियमों को सरल बनाया गया है। इसे भारत का अब तक का सबसे व्यापक मुक्त व्यापार समझौता माना जा रहा है। समझौते के तहत स्कॉच व्हिस्की पर मौजूदा 150 प्रतिशत आयात शुल्क पहले चरण में घटाकर 75 प्रतिशत किया जाएगा, जबकि अगले 10 वर्षों में यह 40 प्रतिशत रह जाएगा। ब्रिटेन में बनी पूरी तरह तैयार कारों पर भी पहली बार इतनी बड़ी सीमा शुल्क रियायत दी गई है। इन कारों पर आयात शुल्क 110 प्रतिशत से घटाकर चरणबद्ध तरीके से 10 प्रतिशत किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल कारों को शुरुआत से ही रियायत मिलेगी, जबकि इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और हाइड्रोजन वाहनों को छठे वर्ष से लाभ मिलेगा, ताकि शुरुआती पांच वर्षों तक भारतीय ईवी उद्योग को सुरक्षा मिल सके। पहले 15 वर्षों में रियायती शुल्क पर 3.78 लाख ब्रिटिश यात्री वाहनों के आयात की अनुमति होगी। वहीं ट्रकों पर आयात शुल्क 44 प्रतिशत से घटकर पांचवें वर्ष तक 8.8 प्रतिशत रह जाएगा।

संपादकीय

अन्याय सरीखा दिखने वाला न्याय

इस उक्ति से सभी परिचित हैं कि न्याय केवल होना ही नहीं,बल्कि दिखना भी चाहिए। दुर्भाग्य है कि अपने देश में न्याय न होते दिखने के उदाहरण बढ़ते चले जा रहे हैं। ताजा उदाहरण है रोंगटे खड़े कर देने वाले श्रद्धा वाकर हत्याकांड के अभियुक्त आफताब अमीन पूनावाला को राहत देने का। यह सनसनीखेज मामला सभी की स्मृति में होगा कि आफताब ने अपनी प्रेमिका और लिव इन पार्टनर श्रद्धा को मुंबई से दिल्ली लाकर मार डाला था। उसने श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके शव के 35 टुकड़े किए। फिर उन्हें काट-काट कर फ्रिज में रखा। इसके बाद एक-एक कर उन्हें जंगल में फेंक दिया।

कई महीनों बाद जब यह मामला उजागर हुआ तो देश सन्न रह गया। यह घटना मई 2022 की है। चूंकि घटना बहुत ही जघन्य थी,इसलिए यह मानकर चला जा रहा था कि इस मामले में न्याय का पहिया द्रुत गति से घूमेगा,लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पिछले दिनों दिल्ली की एक अदालत में आफताब के ट्रायल की सुनवाई इसलिए टाल दी,क्योंकि उसे एमए समाजशास्त्र की परीक्षा देनी है।

पहली नजर में यह लग सकता है कि एक दिन के लिए सुनवाई टलना कोई बड़ी बात नहीं,लेकिन यह इसलिए बड़ी बात है कि जब पिछली तिथि में यह तय हो रहा था कि ट्रायल की शुरुआत 20 जुलाई से होगी,तब उस समय आफताब के वकील ने अदालत को यह नहीं बताया कि इस दिन तो उसे परीक्षा देनी है? यह बात बाद में बताई गई और न्यायाधीश ने उदारता दिखाते हुए सुनवाई टाल दी। यह पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले एक बार आफताब के मामले की सुनवाई इसलिए टाली गई थी,क्योंकि उसे डेंटिस्ट को दिखाना था। इसी तरह एक बार सुनवाई इसलिए टली थी,क्योंकि उसे मनोचिकित्सक से मिलना था।

किसी मामले की सुनवाई टालने के लिए रसूखदार अभियुक्त या उसके परिवार वाले और वकील जैसे तौर-तरीके अपनाते हैं, उनसे हर कोई परिचित है। प्रश्न यहां किसी मामले की सुनवाई टल जाने का नहीं, बल्कि इसका है कि क्या किसी हत्याकांड के अभियुक्त को समय रहते दंड देना आवश्यक है अथवा उसकी परीक्षा की चिंता करना? यह सही है कि न्याय का तकाजा यह कहता है कि जब तक कोई दोषी न सिद्ध हो जाए,तब तक उसे निर्दोष माना जाए, लेकिन क्या आफताब जैसे हत्यारे के मामले में भी न्याय के इस सिद्धांत पर उदारता से अमल होगा? यह कोई पहला ऐसा प्रकरण नहीं,जो तारीख पर तारीख के सिलसिले को रेखांकित करता हो। इस तरह के असंख्य मामले हैं। आम तौर पर मामलों की सुनवाई में देरी इसीलिए होती है,क्योंकि अभियुक्त और उनके वकील ऐसे तौर-तरीके अपने में सफल रहते हैं, जिनसे उनके मामले की सुनवाई येन-केन-प्रकारेण टलती रहे।

यह उक्ति भी सभी ने सुनी होगी कि न्याय के समक्ष सभी एक समान हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अपने देश में यह भी सच नहीं है और इसका उदाहरण है केरल की कैंसरग्रस्त उस महिला का मामला, जिसने कैंसर की महंगी दवाएं सस्ते में उपलब्ध कराने के लिए केरल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले की सुनवाई 57 बार स्थगित हुई। इसे आठ अलग-अलग न्यायाधीशों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। तारीख पर तारीख का सिलसिला कायम रहा और अंततः उक्त महिला की मौत हो गई। गनीमत रही तो यह कि केरल हाई कोर्ट महिला की मौत के बाद भी इस प्रकरण की सुनवाई जारी रखने के लिए तैयार है। बीते दिनों केरल का यह मामला तब चर्चा में आया,जब दवाओं और उपचार तक आसान पहुंच के लिए कार्यरत एक संगठन ने न्यायिक कार्यवाही में हो रही देरी को लेकर केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश समेत सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश और राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा।

यहां हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने आतंकी याकूब मेमन के मामले को आधी रात में सुना था और तीस्ता सीतलवाड़ को रात नौ बजे जमानत दी थी। रसूखदार लोगों के ऐसे कुछ और भी उदाहरण रहे हैं, जब उनके मामले को आनन-फानन सुना गया। ऐसा इसलिए भी हुआ, क्योंकि इन मामलों की पैरवी भी प्रभावशाली वकील कर रहे थे। यह बार-बार सुनने को मिलता है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद,लेकिन इस सिद्धांत का भी मनचाहा उपयोग हो रहा है और कई बार संगीन अपराधों में लिप्त अभियुक्तों को भी जमानत दे दी जाती है। पिछले दिनों ही तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को जमानत दे दी गई। जेल से बाहर आते ही उसने पहले इस नाबालिग लड़की,उसकी मां और नानी को मारा,फिर अपनी पत्नी और दो बच्चों को। बाद में वह भी मरा हुआ पाया गया।

अभी गत दिनों दिल्ली के भीषण दंगों के दौरान आइबी कर्मी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी के जिस पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया गया, उसे सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा चुनाव लड़ने की ही नहीं, प्रचार के लिए भी जेल से बाहर आने की अनुमति दे दी थी। उसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। वह छह दिन तक पुलिस की निगरानी में चुनाव प्रचार करता रहा। ऐसी न्यायिक उदारता न तो न्यायतंत्र का मान बढ़ाती है और न ही न्यायपालिका के प्रति आम आदमी के भरोसे को बल देती है। हर चीज की अति बुरी होती है-वह चाहे न्यायिक सक्रियता हो या फिर न्यायिक उदारता। इस सक्रियता और उदारता के साथ न्यायिक निष्क्रियता कोढ़ में खाज का ही काम कर रही है।

हमारी भाषाएँ मर रही हैं,हम अंग्रेज़ी में उनका श्राद्ध कर रहे हैं...

क्या अंग्रेज़ी को स्वदेशी मानना मानसिक उपनिवेश की स्वीकृति होगी? न्याय की भाषा अंग्रेज़ी,पीड़ित की भाषा हिंदी-यह लोकतंत्र है या उपहास?

रितेश कुमार जैन
बड़वानी,मध्यप्रदेश

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

सुप्रीम कोर्ट का हालिया प्रश्न–क्या अंग्रेज़ी को भारत की स्वदेशी भाषा माना जा सकता है?–सिर्फ न्यायालय का सवाल नहीं,भारत की भाषाई चेतना पर दस्तक है। यह बहस अंग्रेज़ी के पक्ष-विपक्ष की नहीं,उस मानसिकता की है जिसने आज़ादी के आठ दशक बाद भी भाषा को आत्मसम्मान नहीं,हैसियत का पैमाना बना रखा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आई अंग्रेज़ी आज विश्व विद्यालयों,न्यायालयों,प्रशासन,विज्ञान, तकनीक और कॉरपोरेट जगत की प्रमुख भाषा है। करोड़ों भारतीय इसे शिक्षा और रोज़गार का माध्यम बना चुके हैं, इसलिए इसे पूरी तरह विदेशी कहना यथार्थ से मुंह मोड़ना होगा। पर क्या लंबे उपयोग से कोई भाषा स्वदेशी हो जाती है? यदि हाँ,तो स्वदेशी का आधार इतिहास होगा,संस्कृति या सुविधा? सुप्रीम कोर्ट ने भाषा नहीं, भारतीय आत्मविश्वास का प्रश्न उठाया है। वही आत्मविश्वास जिसने कभी संस्कृत, पाली,प्राकृत,तमिल,हिंदी,बंगाली, मराठी, उड़िया,कन्नड़,तेलुगु,मलयालम, असमिया और सैकड़ों बोलियों के बल पर विश्व को ज्ञान दिया,लेकिन आज अपने ही देश में स्वयं को सिद्ध करने के लिए विदेशी भाषा का सहारा खोजता है। इस प्रश्न का सबसे बड़ा कटघरा हमारी न्याय व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अधिकांश उच्च न्यायालयों की कार्यवाही व निर्णय आज भी अंग्रेज़ी में होते हैं। विडंबना यह है कि न्याय उसी नागरिक के लिए लिखा जाता है, जो उसकी भाषा नहीं समझता। स्वयं न्यायालय भी मान चुका है कि फैसलों और आदेशों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद आवश्यक है,क्योंकि न्याय तभी सार्थक है,जब वह जनता की भाषा में पहुंचे। फिर भी अदालतों में अंग्रेज़ी का प्रभुत्व निर्विवाद है। लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ यदि जनता की भाषा से दूर रहेगा,तो न्याय और नागरिक के बीच दूरी बनी रहेगी। क्या केवल वर्षों के प्रयोग से अंग्रेज़ी स्वदेशी हो जाएगी, या न्याय व्यवस्था को भारतीय भाषाओं से जोड़ना ही लोकतांत्रिक सुधार होगा? यह प्रश्न केवल भाषा का नहीं,न्याय तक समान पहुंच का है।

आज का सबसे कठोर सत्य यह है कि अंग्रेज़ी भारत में केवल भाषा नहीं, वर्गीय शक्ति का प्रतीक बन चुकी है। यही भाषा कुछ के लिए अवसरों का द्वार है,तो लाखों के लिए अदृश्य दीवार। महंगे विद्यालय, आई आई टी, आई आइ एम,बहुराष्ट्रीय कंपनियां और वैश्विक संस्थाएं इसे योग्यता की पहली शर्त मानती हैं। वहीं गांव का प्रतिभाशाली विद्यार्थी,दलित-बहुजन युवा और मातृभाषा में शिक्षित लाखों छात्र क्षमता नहीं,भाषा की बाधा से पीछे छूट जाते हैं। तीन-भाषा नीति पर वर्षों से जारी बहस और दक्षिण भारत का प्रतिरोध इसी भाषाई वर्चस्व की आशंका का संकेत है। यदि अंग्रेज़ी को स्वदेशी मान लेने से यह असमानता और गहरी होती है, तो क्या हम नई गुलामी को ही वैधता नहीं दे रहे? कभी सत्ता तलवार से चलती थी, आज भाषा के प्रमाणपत्र से चलती है। इतिहास इस बहस का सबसे ईमानदार साक्षी है। 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने स्पष्ट लिखा था कि उसका उद्देश्य ऐसे भारतीय तैयार करना है, जो रक्त और रंग से भारतीय, लेकिन विचार,नैतिकता,रुचि और बुद्धि से अंग्रेज़ हों। यह केवल शिक्षा नीति नहीं, मानसिक उपनिवेश की योजना थी। स्वतंत्र भारत ने राजनीतिक आज़ादी तो पा ली, पर भाषाई स्वाधीनता का संघर्ष अधूरा रह गया। समय के साथ अंग्रेज़ी का स्वरूप भी बदला है। आज हिंग्लिश, तम्लिश,बेंग्लिश जैसी मिश्रित भाषाएं बताती हैं कि भारत हर भाषा को अपना रंग दे सकता है। अंग्रेज़ी भी अब भारतीय अनुभवों से समृद्ध है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या यह बदलाव हमारी 22 अनुसूचित भाषाओं और सैकड़ों बोलियों की कीमत पर हो रहा है? यदि नई पीढ़ी मातृभाषा से पहले अंग्रेज़ी में सोचने लगे, तो यह केवल भाषा का नहीं,सांस्कृतिक स्मृति के क्षरण का संकेत होगा।

दुनिया का अनुभव भारत को स्पष्ट संकेत देता है। जापान ने जापानी, जर्मनी ने जर्मन,फ्रांस ने फ़्रांसीसी, चीन ने मंदारिन और इज़राइल ने पुनर्जीवित हिब्रू के बल पर ज्ञान,विज्ञान और राष्ट्रीय पहचान को सशक्त बनाया। इन देशों ने अंग्रेज़ी सीखी, उसका उपयोग किया,लेकिन उसे अपनी पहचान पर हावी नहीं होने दिया। भारत का मार्ग टकराव नहीं,संतुलन का होना चाहिए। नई शिक्षा नीति मातृभाषा आधारित शिक्षा पर बल देती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुवाद,भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दावली,इंजीनियरिंग, चिकित्सा, विधि की पढ़ाई और बहुभाषी डिजिटल ज्ञान-संसाधन बताते हैं कि ज्ञान अब अंग्रेज़ी की कैद में नहीं है। फिर अंग्रेज़ी को स्वदेशी घोषित करने की जल्दबाज़ी क्यों? असली चुनौती अंग्रेज़ी को हटाना नहीं,भारतीय भाषाओं को उस स्तर तक पहुंचाना है, जहाँ किसी विद्यार्थी का भविष्य उसकी भाषा नहीं, प्रतिभा तय करे।

यहीं सुप्रीम कोर्ट का प्रश्न सबसे अधिक दूरदर्शी बन जाता है। यह हिंदी बनाम अंग्रेज़ी, उत्तर बनाम दक्षिण या किसी भाषा की श्रेष्ठता का विवाद नहीं, उस भारत की खोज है जहाँ हर बच्चा मातृभाषा में सोच सके, क्षेत्रीय भाषा से समाज से जुड़े और अंग्रेज़ी के माध्यम से दुनिया से संवाद करे। यही बहुभाषिक भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि अंग्रेज़ी को स्वदेशी कहकर भारतीय भाषाओं की उपेक्षा हुई,तो लोकगीत, लोककथाएं,दर्शन, लोकविज्ञान, क्षेत्रीय साहित्य और हजारों वर्षों की सांस्कृतिक स्मृतियां हाशिए पर चली जाएंगी। लेकिन यदि अंग्रेज़ी वैश्विक अवसरों की भाषा और भारतीय भाषाएं राष्ट्रीय जीवन की आत्मा बनें,तो वे प्रतिद्वंद्वी नहीं,परस्पर सहयोगी होंगी। भाषा का भविष्य प्रतिस्पर्धा नहीं, सह-अस्तित्व सुरक्षित करेगा।

दरअसल,सबसे बड़ा भ्रम यही है कि स्वदेशी का अर्थ केवल उत्पत्ति से है। भारत का इतिहास बताता है कि उसने अनेक संस्कृतियों,विचारों और भाषाओं को अपनाया, पर अपनी आत्मा कभी नहीं खोई। इसलिए न अंग्रेज़ी का विरोध समाधान है,न महिमामंडन। असली प्रश्न यह है कि निर्णय,ज्ञान और आने वाली पीढ़ी के सपनों की भाषा कौन होगी। यदि प्रशासन,न्याय, विज्ञान, चिकित्सा, शोध और तकनीकी शिक्षा भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी, तो अंग्रेज़ी कभी चुनौती नहीं बनेगी। लेकिन यदि भारतीय भाषाएं घर, कविता और उत्सव तक सिमट गईं, और अंग्रेज़ी सत्ता, ज्ञान व अवसर की भाषा बन गई,तो वही मानसिक असमानता लौटेगी,जिसकी नींव औप निवेशिक शासन ने रखी थी। गुलामी केवल विदेशी शासन से नहीं आती, वह तब भी आती है,जब कोई समाज अपनी भाषा पर विश्वास खो देता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कोई भाषाई निर्णय नहीं दिया,बल्कि भारत के सामने एक मूल प्रश्न रख दिया–क्या भाषा केवल सुविधा का माध्यम होगी या राष्ट्रीय आत्मविश्वास का आधार? अंग्रेज़ी वैश्विक अवसरों का द्वार है,लेकिन भारत की सभ्यता,लोकज्ञान,संवेदना और सांस्कृतिक चेतना भारतीय भाषाओं में ही जीवित हैं। इसलिए न अंग्रेज़ी का विरोध समाधान है,न उसे स्वदेशी मानकर भारतीय भाषाओं का विकल्प बनाना। आवश्यकता ऐसी व्यवस्था की है,जहाँ न्याय जनता की भाषा में मिले, शिक्षा मातृभाषा में विकसित हो, तकनीक हर भारतीय भाषा को समान अवसर दे और अंग्रेज़ी दुनिया से संवाद का सेतु बने,प्रभुत्व का नहीं। अंततः यह बहस अंग्रेज़ी की नहीं,भारत के भाषाई आत्मविश्वास की है। जो राष्ट्र अपनी भाषाओं को सम्मान देता है, वही अपने ज्ञान,संस्कृति और भविष्य को भी सुरक्षित रखता है। भारत की वास्तविक भाषाई स्वतंत्रता अंग्रेज़ी को स्वदेशी सिद्ध करने में नहीं,बल्कि भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय जीवन स्वाभाविक आधार बनाने में है।

बरसात में बेहाल होता शहर : विकास की चमक के पीछे छिपी सच्चाई

डॉ. विजय गर्ग
मलोट,पंजाब

हर वर्ष मानसून के आते ही शहरों की तस्वीर बदल जाती है। कुछ घंटों की तेज़ बारिश ही सड़कों को तालाब, गलियों को नालों और बाजारों को जलभराव वाले क्षेत्रों में बदल देती है। लोग घरों से निकलने से डरते हैं,वाहन घंटों जाम में फँसे रहते हैं और रोज़मर्रा का जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। यह केवल प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि हमारी शहरी योजना और प्रशासनिक तैयारियों की भी परीक्षा है। बारिश नहीं, तैयारी की कमी समस्या है भारत के अधिकांश शहरों में वर्षा कोई नई बात नहीं है। फिर भी हर साल वही समस्याएँ दोहराई जाती हैं। नालियों की समय पर सफाई नहीं होती, वर्षा जल निकासी (ड्रेनेज) व्यवस्था कमजोर होती है और अनियोजित निर्माण प्राकृतिक जल निकासी मार्गों को रोक देता है। परिणामस्वरूप थोड़ी-सी बारिश भी शहर को ठप कर देती है।

नागरिकों को होने वाली परेशानियाँ

जलभराव का सबसे अधिक असर आम लोगों पर पड़ता है। कार्यालय जाने वाले कर्मचारी देर से पहुँचते हैं, विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती है और छोटे व्यापारियों की दुकानें पानी में डूब जाती हैं। कई बार घरों में भी पानी घुस जाता है, जिससे लाखों रुपये का सामान खराब हो जाता है। बारिश के दौरान खुले बिजली के तार, फिसलन भरी सड़कें और खुले मैनहोल दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। कई बार लोगों की जान तक चली जाती है।

स्वास्थ्य पर खतरा

बारिश के बाद जमा हुआ पानी मच्छरों के पनपने का सबसे बड़ा कारण बनता है। इससे डेंगू, मलेरिया और चिकन गुनिया जैसी बीमारियाँ तेजी से फैलती हैं। दूषित पानी के कारण हैजा, टाइफाइड और दस्त जैसी जलजनित बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है।

ट्रैफिक और अर्थव्यवस्था पर असर

जलभराव के कारण यातायात पूरी तरह प्रभावित होता है। लोग घंटों जाम में फँसे रहते हैं, ईंधन की खपत बढ़ती है और उत्पादक समय नष्ट होता है। उद्योगों, दुकानों और छोटे व्यवसायों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। शहर की कार्यक्षमता कम हो जाती है।

क्यों बढ़ रही है समस्या?

अनियोजित शहरीकरण।
नालियों और सीवरों का नियमित रखरखाव न होना।
तालाबों और प्राकृतिक जल निकासी मार्गों पर अति मण।
प्लास्टिक कचरे से नालियों का बंद होना।
जलवायु परिवर्तन के कारण कम समय में अत्यधिक वर्षा।

समाधान क्या हैं?

समस्या का समाधान केवल सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए प्रशासन और नागरिकों दोनों की जिम्मेदारी है।

वर्षा से पहले नालियों और सीवरों की नियमित सफाई।
आधुनिक स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास।
वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) को बढ़ावा।
प्लास्टिक के उपयोग में कमी और कचरे का सही निपटान।
जल निकासी मार्गों और तालाबों का संरक्षण।
मौसम की सटीक चेतावनी और आपदा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत बनाना।

नागरिकों की भूमिका

यदि लोग कचरा नालियों में फेंकना बंद कर दें, जलभराव वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतें और स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करें,तो स्थिति में काफी सुधार आ सकता है। स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण भी इस समस्या के समाधान का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। बरसात जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन यदि शहर हर वर्ष बारिश के सामने असहाय दिखाई दें, तो यह विकास मॉडल पर गंभीर प्रश्नचिह्न है। स्मार्ट शहर केवल ऊँची इमारतों और चौड़ी सड़कों से नहीं बनते, बल्कि मजबूत आधारभूत ढाँचे, प्रभावी जल निकासी व्यवस्था और जिम्मेदार नागरिकों से बनते हैं। यदि समय रहते उचित योजना और सामूहिक प्रयास किए जाएँ, तो बरसात राहत और हरियाली का संदेश लेकर आएगी,परेशानी और अव्यवस्था का नहीं।

विद्यादायिनी

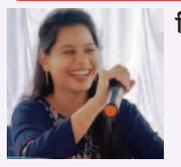

प्रिया देवांगन प्रियू
राजिम
गरियाबंद
छत्तीसगढ़

हाथ जोड़ विनती करें,
हम बच्चे नादान।
माता वीणा वादिनी,
दे हमको वरदान।।

मुखमंडल की आभा प्यारी।
माँ तुम जग में सबसे न्यारी।।

श्वेत कमल का आसन साजे।
वीणा झंकृत होकर बाजे।।

माथे सुंदर किरीट सोहे।
मुख की आभा मन को मोहे।।

ज्ञान दायिनी बुद्धि प्रदाता।
कंठ राग लय स्वर दो माता।।

तमस मिटाओ पथ के सारे।
बनकर रहना सदा सहारे।।

जप-तप पूजा हम ना जानें।
मातु-पिता गुरु तुमको मानें।।

सरस्वती हे शारद माता।
तुम्हें सकल जग शीश नवाता।।

सतत् लेखनी सदा चले माँ।
नवाचार मन भाव पले माँ।।

कोटि-कोटि है नमन चरण में।
हमको रख लो मातु शरण में।।

हे जग जननी तुम्हें पुकारें।
वर दो हम हिम्मत ना हारें।।

ज्ञान बढ़े अज्ञान हरो सब।
कृपा दृष्टि से धन्य करो अब।।

मकड़ी का घर

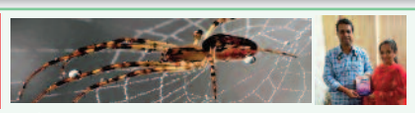

गरिमा
राकेश
गौत्तम

आज मन उदास है।
मकड़ी का घर उजाड़
अपना घर जो सजाया है।
उनका मुझसे, मेरा उनसे
कोई बैर नहीं था...
ना उन्होंने कुछ लिया था
ना मैंने कुछ दिया था।
बस चंद दिनों से
वो घर की दीवारों को
अपना बना रहे थे
अपने आने वाले जीवन की
रेखाओं के धागे बुन रहे थे।
हाथ पहुँचे होंगे ज्योंही
मेरे उनके आशियाने के पास
सहम कर उन्होंने मुझे
देखा तो होगा....
शायद अपनी भाषा में मुझको मनाया भी होगा
हृदय हीन सी मैं उनकी तरफ बढ़ी
एक ही झटके में उनके ख्वाब तोड़ गई
घर तो सज गया मेरा
पर मन में मलाल रह गया
क्यूँ मेरा हृदय पत्थर का हो गया।

प्रेमिका से पत्नी तक...

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा उरतृप्त

प्रेम और विवाह के बीच का अंतर ठीक वैसा ही है जैसा चाय की टपरी पर कुल्हड़ में अदरक वाली एक्स्ट्रा मार के चाय पीने और किसी महंगे होटल में ग्रीन टी के पाउच को गर्म पानी में डुबोने में होता है। जब कोई प्रेमिका सात फेरों के पवित्र बंधन की स्पाइरल बाइंडिंग में बंधकर पत्नी बनती है, तो जिंदगी का पूरा कैटलॉग ही बदल जाता है। प्रेमिका मुकम्मल कविता की तरह होती है,जिसे आप डायरी के पन्नों में छुपा कर रखते हैं,जबकि पत्नी उसी कविता की वह अनिवार्य गाइड बुक बन जाती है जिसे परीक्षा से रात पहले रटना ही पड़ता है। इस बदलाव का पहला शिकार पुरुष का वह भ्रम होता है जो सोचता था कि वह अपनी जिंदगी का मुख्य किरदार है,जबकि हकीकत यह है कि वह अब सिर्फ सह-कलाकार है जिसका काम केवल ताली बजाना और सही समय पर बाजार से धनिया लाना है।

शुरुआती दिनों में जब वह प्रेमिका थी, तब उसकी आवाज में अजीब सी खामोशी और मिठास घुली रहती थी। ऐसा लगता था जैसे बनारस के घाट पर शाम की आरती हो रही हो। तब उसकी हर हाँ में गजल छिपी होती थी और उसकी आँखों की झील में डूबने का मन करता था। लेकिन जैसे ही मांग में सिंदूर की लाल बत्ती जली, वह मधुर बांसुरी अचानक अनुशासनात्मक चटकदार सीटी में बदल गई। अब सुबह की शुरुआत अलार्म से नहीं, बल्कि रसोई से आने वाली बेलन और तवे की जुगलबंदी से होती है, जो साफ़-साफ़ कहती है कि अगर बिस्तर से पांच मिनट में नहीं उठे,तो तुम्हारा नाश्ता इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। प्रेम के दिनों में जो आँखें हिरणी जैसी लगती थीं,वे अब सीसीटीवी कैमरे जैसी हो गई हैं,जो आपके हर लेट-कमिंग और चाय के खाली कप को सिंक में न रखने के अपराध को लाइव रिकॉर्ड करती हैं।

प्रेमिका के दौर में प्रेमी किसी राजसी महल का राजकुमार होता था,जिसकी हर बात पर जादुई तारीफों का तमगा मिलता था। पत्नी के साम्राज्य में आते ही वह ऐसी पुरानी मारुति सुजुकी कार बन जाता है, जिसे चालू रखने के लिए रोज सुबह नए बहाने और कभी-कभी थोड़े धक्के की जरूरत होती है। प्रेम में पुरुष खुला परिंदा था जो आसमान नापने का दावा करता था, मगर विवाह के पिंजरे में आते ही वह घरेलू मुर्ग बन जाता है जिसका पूरा ब्रह्मांड सोफे के कोने से लेकर बालकनी की ग्रिल तक सिमट जाता है। अब उसकी स्वतंत्रता का सबसे बड़ा प्रतीक यह होता है कि वह अलमारी के तीन खानों में से आधे खाने पर अपना मोजा और टी-शर्ट रखने का अधिकार पा जाए।

घर का इंटीरियर और बजट इस बदलाव का सबसे सटीक चित्र प्रस्तुत करते हैं। पहले जब वह मिलने आती थी, तो कैफ़े का बिल चुकाना किसी युद्ध को जीतने जैसा गर्व का अहसास देता था। अब हर महीने की पहली तारीख को क्रेडिट कार्ड का बिल देखना किसी हॉरर फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा डरावना लगता है। प्रेमिका को तोहफे में टेडी बियर और गुलाब का फूल देकर काम चल जाता था, जहाँ भावनाओं का वजन ज्यादा होता था। लेकिन पत्नी बनने के बाद भावनाओं का स्थान सीधे अमेज़न के कार्ट और ऑनलाइन डिस्काउंट कूपन ले लेते हैं। घर में जो कप-प्लेट कभी सिर्फ मेहमानों के लिए रिजर्व थे, वे अब इस बात का थर्मामीटर बन चुके हैं कि आज पत्नी का मूड कैसा है, अगर चीनी मिट्टी के बर्तन हल्के से खटके, तो समझो कि मौसम विभाग ने भारी तबाही की चेतावनी जारी कर दी है।

संवादों की शैली में तो ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन आता है कि भाषा विज्ञान के बड़े-बड़े प्रोफेसर भी अपना सिर पकड़ लें। जब प्रेमिका कहती थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए, तो दिल में गिटार बजने लगता था। अब जब पत्नी कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए,तो इसका सीधा और खतरनाक मतलब होता है कि तुमने उसकी किसी बेहद जरूरी खामोश ख्वाहिश को नजरअंदाज कर दिया है और अब तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उनकी बातचीत का ढांचा अब किसी कॉरपोरेट मीटिंग जैसा हो गया है, जहाँ हर वाक्य के पीछे छिपा हुआ एजेंडा होता है। क्या आज तुम ऑफिस से जल्दी आ रहे हो? इस सीधे सवाल का अनुवाद यह है कि तुम्हें आते समय रास्ते से सब्जी, दूध और सोसाइटी का मेंटेनेंस बिल जमा करके आना है।

मित्रों और सामाजिक जीवन का परिदृश्य भी इस नए दौर में किसी ढहते हुए किले की तरह नजर आता है। शादी से पहले जो दोस्त आपकी प्रेम कहानी के मुख्य गवाह और फिल्मों वाले बैकग्राउंड म्यूजिक हुआ करते थे, वे अब पत्नी की नजर में समय बर्बाद करने वाले तत्वों की सूची में सबसे ऊपर आ जाते हैं। दोस्तों के साथ बिताई जाने वाली शामें, जो कभी अंतहीन चाय और सिगरेट के धुएं में तैरती थीं, अब वीकेंड पर मॉल की ट्रॉली खींचने और ग्रोसरी की लिस्ट टिक करने में बदल चुकी हैं। पुरुष का दोस्त अब वह नहीं जो उसके सुख-दुख में साथ दे,बल्कि वह है जो चुपके से ऑफिस के लंच ब्रेक में अपनी पत्नी के गुस्से से बचने के कारगर उपाय साझा कर सके।

इस पूरे रूपांतरण का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि पुरुष के आत्मसम्मान का ग्राफ शेयर मार्केट की तरह लगातार नीचे गिरता रहता है, फिर भी वह कुशल निवेशक की तरह मुस्कुराता रहता है। प्रेमिका के समय जो पुरुष अपनी शर्ट के कॉलर सीधे रखता था, वह अब इस बात में अपनी जीत ढूंढता है कि उसने बालकनी में सूख रहे कपड़ों को सही तरीके से क्लिप लगा कर टांग दिया है। घर में उसकी हैसियत किसी ऐसे कैबिनेट मंत्री जैसी हो जाती है जिसके पास विभाग तो बहुत हैं, लेकिन बजट पर अंतिम दस्तखत वित्त मंत्रालय यानी पत्नी का ही होता है। हर संडे की सुबह छिपे हुए टास्क फोर्स के ऑपरेशन जैसी होती है, जहाँ उसे जाले साफ़ करने से लेकर जामुन खरीदने तक के मिशन को पूरी शिद्दत से अंजाम देना होता है। लेकिन इस तमाम नोक-झोंक के मलबे के नीचे बहुत ही खूबसूरत और पक्का सच भी छुपा होता है। जहाँ हर मजाक के बाद गहरी सी बात दिल को छू जाती है, प्रेमिका का पत्नी बनना दरअसल कच्चे धागे का मजबूत रस्सी में बदल जाना है। वह जो कभी सिर्फ आपकी खुशियों की साझीदार थी, अब आपके फटे हुए मोजों से लेकर टूटे हुए हौसलों तक को रफू करने का हुनर सीख चुकी है। चाय की वह टपरी भले ही छूट गई हो,लेकिन अब हर शाम जब दोनों थककर सोफे पर बैठते हैं और बिना कुछ कहे एक-दूसरे की थकान को पढ़ लेते हैं,तो समझ आता है कि प्रेमिका का पत्नी बनना दरअसल जिंदगी की सबसे बेहतरीन स्क्रिप्ट का मुकम्मल हो जाना है।

सुविचार

कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से तीन प्रश्न कीजिए मैं यह क्यों कर रहा हूं इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होगा और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़े – चाणक्य

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

बार-बार फरारी...अब हत्या,क्या हादसे का इंतजार कर रहा था सिस्टम?

अंबिकापुर में 7 महीने में तीसरी फरारी...बिलासपुर में चौकीदार की हत्या के बाद बाल संरक्षण व्यवस्था कटघरे में...

पहले 15,फिर 11,अब 13 अपचारी बालक फरार...क्या बाल संरक्षण तंत्र पर नहीं बचा किसी का नियंत्रण?

पहले भागने दो...फिर खोजने निकलो,क्या यही बन गई है व्यवस्था?

न्यायालय भेजता है सुधारने... व्यवस्था बना रही 'फरार गृह'!

अंबिकापुर में तीन बार फरारी,बिलासपुर में चौकीदार की हत्या ने बढ़ाई चिंता...

7 महीने में बार-बार भागे अपचारी बालक अब बिलासपुर में चौकीदार की हत्या के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल...

अंबिकापुर में तीन बार सुरक्षा ध्वस्त,बिलासपुर की घटना ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा किया...

अंबिकापुर की चेतावनी के बीच बिलासपुर की वारदात ने बढ़ाई चिंता, जवाबदेही अब भी तय नहीं...

फरारी से हत्या तक...बाल संरक्षण तंत्र की नाकामी की खौफनाक तस्वीर...

अंबिकापुर में 7 महीने में तीन बार अपचारी बालक फरार,बिलासपुर में चौकीदार की हत्या के बाद चार बाल अपचारी भी भागे...

बिलासपुर में चौकीदार की हत्या के बाद बढ़ी चिंता,क्या अब भी नहीं चेतेगा महिला एवं बाल विकास विभाग?

सुरक्षित और प्रभावी पुनर्वास व्यवस्था सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है,अब केवल नई जांच समितियों की घोषणा नहीं, बल्कि ठोस सुधारात्मक कदम, पारदर्शिता और जवाबदेही ही इस व्यवस्था पर जनता और न्यायालय का भरोसा बनाए रख सकते हैं।

तीन घटनाएं...एक जैसा तरीका...फिर भी नहीं सुधरी व्यवस्था-यदि फरवरी,जून और जुलाई की तीनों घटनाओं को देखा जाए तो एक समान पैटर्न दिखाई देता है, हर बार अपचारी बालकों ने सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी का फायदा उठाया, हर बार भागने का समय लगभग शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच का बताया गया,इस बार भी प्रारंभिक जानकारी के अनुसार लाइब्रेरी की खिड़की तोड़कर 13 अपचारी बालक फरार हो गए,सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पहली और दूसरी घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए थी,तब आखिर ऐसा क्या किया गया कि तीसरी बार भी वही तरीका अपनाकर बच्चे फरार हो गए? यदि खिड़कियां ही सुरक्षा की सबसे कमजोर कड़ी थीं तो उन्हें मजबूत क्यों नहीं किया गया?

पहले भागने दो... फिर खोजने में पूरा तंत्र लगाओ, क्या यही व्यवस्था बन गई है?-अंबिकापुर में पिछले सात महीनों की घटनाओं ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है,क्या अब बाल संरक्षण तंत्र की कार्यप्रणाली केवल इतनी रह गई है कि पहले अपचारी बालक भाग जाएं और उसके बाद उन्हें खोजने के लिए पुलिस, प्रशासन और पूरा सरकारी अमला सक्रिय हो जाए? हर फरारी के बाद जिले भर में अलर्ट जारी होता है,पुलिस टीमें गठित होती हैं, जगह-जगह दबिश दी जाती है,आसपास के जिलों और राज्यों को सूचना भेजी जाती है,यानी जिस सुरक्षा पर पहले ध्यान दिया जाना चाहिए,वह बाद में खोजबीन पर खर्च होती दिखाई देती है,सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि पहले फरार हुए सभी अपचारी बालक क्या वास्तव में वापस लाए जा चुके हैं? यदि नहीं,तो अब भी कितने बालक फरार हैं? उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? क्या वे फिर किसी अपराध में शामिल हुए या नहीं? इन सवालों का स्पष्ट जवाब भी सामने आना चाहिए, यदि हर कुछ महीनों में यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी–पहले फरारी,फिर तलाश और उसके बाद जांच–तो क्या इसे प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था कहा जा सकता है?

क्या अब उच्च जोखिम वाले अपचारी बालकों के लिए अलग व्यवस्था की जरूरत है?- बिलासपुर में चौकीदार की हत्या और अंबिकापुर में लगातार तीन फरारी की घटनाओं ने एक नई बहस भी शुरू कर दी है, ऐसे अपचारी,जिन पर हत्या,दुष्कर्म,लूट जैसे गंभीर आरोप हैं या जिनकी हिंसक प्रवृत्ति सामने आ चुकी है,उनके लिए क्या वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है? यह एक नीतिगत प्रश्न है कि क्या ऐसे उच्च जोखिम वाले अपचारी बालकों के लिए अधिक सुरक्षित, विशेष निगरानी वाले अलग संस्थानों या विशेष सुरक्षा प्रोटोकॉल की आवश्यकता है? यह निर्णय कानून और नीति के दायरे में ही लिया जा सकता है, लेकिन हाल की घटनाओं ने इस विषय पर गंभीर चर्चा की जरूरत जरूर पैदा कर दी है।

क्या न्यायालय का भरोसा कमजोर पड़ रहा है?-बाल न्याय प्रणाली इस सिद्धांत पर आधारित है कि नाबालिग अपराधी को सुधार का अवसर मिलना चाहिए, इसी कारण उसे जेल के बजाय बाल संप्रेक्षण गृह भेजा जाता है,लेकिन यदि वही बच्चा वहां से बार-बार भाग रहा है तो इसका सीधा असर न्यायिक व्यवस्था के उद्देश्य पर पड़ता है,आज यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या सुधार गृह वास्तव में सुधार कर पा रहे हैं या फिर केवल औपचारिक संस्थान बनकर रह गए हैं?

क्या नियमित काउंसलिंग हो रही है?-किशोर न्याय व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग की होती है,क्या इन बच्चों की नियमित काउंसलिंग हो रही थी? क्या उनके व्यवहार का मूल्यांकन किया गया? क्या किसी अधिकारी ने यह महसूस किया कि बच्चे सामूहिक रूप से भागने की योजना बना रहे हैं? यदि ऐसे संकेत थे तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यदि संकेत नहीं थे तो क्या काउंसलिंग व्यवस्था प्रभावी थी?

क्या सुरक्षा व्यवस्था केवल कागजों में मजबूत है?-सूत्रों का कहना है कि जिस भवन में बच्चों को रखा गया है वह काफी पुराना है, लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद यदि खिड़की तोड़कर बच्चे आसानी से बाहर निकल जाते हैं तो यह सुरक्षा मानकों पर गंभीर प्रश्न है, क्या भवन का तकनीकी सुरक्षा ऑडिट हुआ था? क्या मजबूत ग्रिल और आधुनिक सुरक्षा उपकरण लगाए गए थे? यदि लगाए गए थे तो वे प्रभावी क्यों नहीं रहे?

क्या दो होमगार्ड इतने संवेदनशील संस्थान के लिए पर्याप्त हैं?-स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि पूरे संस्थान की सुरक्षा सीमित स्टाफ और दो होमगार्ड के भरोसे संचालित होती है,यदि यहां हत्या,दुष्कर्म,लूट जैसे गंभीर अपराधों में निरुद्ध अपचारी बालक रहते हैं तो क्या इतनी कम सुरक्षा पर्याप्त मानी जा सकती है? क्या प्रत्येक शिफ्ट में प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मी तैनात हैं? क्या किसी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए अलग प्रोटोकॉल है?

हाउस फादर की सूचना पर क्या हुआ?-सूत्रों का दावा है कि संस्थान में पदस्थ हाउस फादर बच्चों की गतिविधियों को लेकर समय-समय पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा रहे थे,यदि यह तथ्य सही है तो क्या उन सूचनाओं पर कोई कार्रवाई हुई? क्या अतिरिक्त निगरानी बढ़ाई गई? क्या जोखिम वाले बच्चों को अलग निगरानी में रखा गया? यह जांच का महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए।

पूर्व में प्रकाशित खबरों के बाद भी नहीं जागा विभाग-दैनिक'घटती-घटना' ने फरवरी से लगातार इस विषय पर खोजी समाचार प्रकाशित किए, 18 फरवरी को प्लेस ऑफ सेफ्टी से 15 अपचारी बालकों के फरार होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए गए, 25 जून को 11 अपचारी बालकों के फरार होने पर सीसीटीवी, सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न उठाए गए, 26 जून को जवाबदेही तय करने की मांग की गई,30 जून को संविदा व्यवस्था,प्रशासनिक लापरवाही और सुरक्षा तंत्र की कमजोरी पर विस्तृत खोजी रिपोर्ट प्रकाशित हुई,इसके बावजूद अब जुलाई में तीसरी बार 13 अपचारी बालकों के फरार होने की घटना सामने आ गई,यह सवाल अब और गंभीर हो गया है कि आखिर विभाग ने इन घटनाओं से क्या सीखा?

क्या पहले फरार हुए सभी बच्चे वापस आ गए थे?-यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि फरवरी में फरार हुए 15 अपचारी बालकों में से कितने वापस लाए गए? जून में भागे 11 बच्चों में से कितनों की बरामदगी हुई? क्या सभी वापस आ चुके हैं? यदि नहीं,तो कितने अब भी फरार हैं? यदि पहले की घटनाओं के सभी अपचारी बालक वापस नहीं आए थे तो सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी क्यों नहीं की गई?

बिलासपुर की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोरा-अंबिकापुर की तीसरी फरारी के बीच 14 जुलाई 2026 को बिलासपुर के सरकंडा स्थित बाल संप्रेषण गृह में हुई एक सनसनीखेज घटना ने पूरे प्रदेश की बाल संरक्षण व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं,पुलिस के अनुसार चौकीदार नरेंद्र कुमार खांडे (40) की हत्या कर दी गई,प्रारंभिक जांच में आरोप है कि चार अपचारी बालकों ने पहले उनके साथ मारपीट की,फिर हाथ-पैर बांध दिए,गला दबाया और मुंह में गमछा ठूंस दिया, वारदात के बाद चारों बाल अपचारी संप्रेषण गृह से फरार हो गए, मृतक तखतपुर क्षेत्र के अरईबंद गांव का निवासी था और लगभग एक वर्ष से चौकीदार के पद पर कार्यरत था,घटना की सूचना मिलते ही सरकंडा थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे,पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए फरार अपचारियों की तलाश शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज,घटनास्थल से मिले साक्ष्य और अन्य तकनीकी पहलुओं की जांच की जा रही है,बताया जा रहा है कि फरार आरोपियों में से एक की उम्र 20 वर्ष पूरी हो चुकी थी और उसे जेल स्थानांतरित किया जाना था,पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है, मृतक के परिजनों ने संस्थान के कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं,हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

क्या अंबिकापुर में भी ऐसे खतरे की आशंका को नजरअंदाज किया गया?-बिलासपुर की घटना ने यह साबित कर दिया कि बाल संप्रेक्षण गृहों से होने वाली फरारी केवल भागने तक सीमित नहीं रह सकती,यदि उच्च जोखिम वाले अपचारी बालकों की निगरानी मजबूत नहीं होगी तो वे सुरक्षा कर्मियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों के लिए भी खतरा बन सकते हैं,यही कारण है कि अंबिकापुर में लगातार हुई तीन फरारी की घटनाओं को अब केवल 'फरारी' मानकर नहीं छोड़ा जा सकता।

संविदा व्यवस्था पर फिर उठे सवाल-सार्वजनिक चर्चा में यह सवाल लगातार उठ रहा है कि संवेदनशील संस्थानों में बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारियों के भरोसे व्यवस्था चलाना कितना उचित है,कई लोगों का मानना है कि ऐसे संस्थानों में प्रशिक्षित नियमित अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, हालांकि इस विषय पर अंतिम निर्णय सरकार और विभागीय नीति का विषय है।

सरकार से अब ये अपेक्षाएं,अब समय आ गया है कि-प्रदेश के सभी बाल संप्रेषण गृहों का सुरक्षा ऑडिट कराया जाए, उच्च जोखिम वाले अपचारी बालकों के लिए अलग सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाया जाए,नियमित मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग सुनिश्चित की जाए,पर्याप्त प्रशिक्षित सुरक्षा बल तैनात किए जाएं,प्रत्येक फरारी मामले में समयबद्ध जांच कर जवाबदेही तय की जाए,सभी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएं,भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा की स्वतंत्र जांच कराई जाए।

आखिर किशोर अपराध क्यों बढ़ रहे हैं?

यह सवाल केवल सुरक्षा का नहीं,बल्कि समाज का भी है, पिछले कुछ वर्षों में गंभीर अपराधों में नाबालिगों की संलिप्तता को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं,आखिर इसकी वजह क्या है? क्या पारिवारिक वातावरण और परवरिश में बदलाव इसका कारण है? क्या नशे की बढ़ती प्रवृत्ति किशोरों को अपराध की ओर धकेल रही है? क्या स्कूल छोड़ने की बढ़ती प्रवृत्ति भी एक कारण है? क्या सोशल मीडिया,हिंसक वेब सामग्री,मोबाइल गेम और डिजिटल प्लेटफॉर्म का असर बच्चों के व्यवहार पर पड़ रहा है? क्या मानसिक स्वास्थ्य और काउंसलिंग तक पर्याप्त पहुंच नहीं है? या फिर समाज और व्यवस्था, दोनों स्तरों पर कहीं ऐसी कमियां हैं जिन्हें समय रहते दूर नहीं किया गया? इन सभी सवालों का कोई एक उत्तर नहीं है,विशेषज्ञों का मानना है कि किशोर अपराध कई सामाजिक, आर्थिक,पारिवारिक और मनोवैज्ञानिक कारणों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम हो सकते हैं, इसलिए केवल सुरक्षा बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि रोकथाम, परामर्श,पारिवारिक सहयोग और पुनर्वास की व्यवस्था को भी मजबूत करना होगा।

अब केवल फरार बालकों को पकड़ना ही समाधान नहीं...

अंबिकापुर और बिलासपुर की घटनाएं बताती हैं कि केवल फरार बालकों को वापस लाना ही समाधान नहीं है,वास्तविक चुनौती यह समझने की है कि वे बार-बार भाग क्यों रहे हैं,अपराध की ओर क्यों लौट रहे हैं और सुधार गृह का उद्देश्य क्यों पूरा नहीं हो पा रहा है,जब तक सुरक्षा व्यवस्था, नियमित काउंसलिंग,मनोवैज्ञानिक सहायता,प्रशिक्षित मानव संसाधन,जवाबदेही और प्रभावी पुनर्वास को एक साथ मजबूत नहीं किया जाएगा,तब तक ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना कठिन होगा,अब समय केवल घटनाओं के बाद कार्रवाई का नहीं,बल्कि ऐसी घटनाओं को पहले ही रोकने वाली व्यवस्था विकसित करने का है।

-संवाददाता-

अंबिकापुर,15 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। न्यायालय जब किसी अपचारी नाबालिग को बाल संप्रेक्षण गृह या प्लेस ऑफ सेफ्टी भेजता है तो उसका उद्देश्य सजा देना नहीं,बल्कि उसे अपराध की दुनिया से निकालकर मुख्यधारा में वापस लाना होता है,वहां उसकी सुरक्षा, निगरानी, काउंसलिंग, शिक्षा और पुनर्वास की जिम्मेदारी राज्य की होती है, लेकिन अंबिकापुर में पिछले सात महीनों के दौरान हुई घटनाओं ने इस पूरी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, फरवरी में प्लेस ऑफ सेफ्टी से 15 अपचारी बालक फरार हुए, जून में बाल संप्रेषण गृह से 11 अपचारी बालक भाग निकले और अब जुलाई में एक बार फिर 13 अपचारी बालकों के फरार होने की घटना सामने आई है,सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार फरार हुए बच्चों में कुछ ऐसे भी बताए जा रहे हैं जो पहले भी भागने की घटनाओं में शामिल रह चुके थे। यदि यह तथ्य जांच में सही पाया जाता है तो यह केवल सुरक्षा व्यवस्था की विफलता नहीं बल्कि सुधार प्रणाली की प्रभावशीलता पर भी बड़ा प्रश्नचिह्न होगा, इन घटनाओं के बीच बिलासपुर के बाल संप्रेक्षण गृह में चौकीदार की हत्या और चार अपचारी बालकों के फरार होने की घटना ने पूरे प्रदेश के बाल संरक्षण तंत्र को कठघरे में खड़ा कर दिया है। अब सवाल केवल अंबिकापुर का नहीं, बल्कि पूरे राज्य की बाल संरक्षण व्यवस्था का बन गया है।

अंबिकापुर में सात महीनों के भीतर तीन बार अपचारी बालकों का फरार होना और उसी दौरान बिलासपुर के बाल संप्रेक्षण गृह में चौकीदार की हत्या के बाद चार अपचारी बालकों का फरार हो जाना,दोनों घटनाएं इस बात का संकेत हैं कि प्रदेश के बाल संरक्षण तंत्र की सुरक्षा,निगरानी और पुनर्वास व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की जिम्मेदारी का निर्धारण तथ्यों, विभागीय जांच और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही किया जाए। न्यायालय जिन किशोरों को सुधार के उद्देश्य से इन संस्थानों में भेजता है, उनके लिए

जनता पूछ रही है...

- सात महीने में तीसरी बार अपचारी बालक क्यों भागे?
- तीनों घटनाओं का समय लगभग एक जैसा क्यों रहा?
- बार-बार खिड़की ही कैसे टूट रही है?
- पहले फरार हुए सभी बच्चे वापस आ चुके हैं?
- नियमित काउंसलिंग क्यों प्रभावी नहीं दिख रही?
- पूर्व की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुई?
- अब तक किस अधिकारी की जिम्मेदारी तय हुई?
- क्या बिलासपुर जैसी घटना से भी विभाग सबक लेगा?

CMYK

साबिर आलम फरारी कांड में नया मोड़ : झारखंड पुलिस फिर अंबिकापुर पहुंची,भगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू...

एक बार फिर लौटी धनबाद पुलिस...अब फरार गैंगस्टर के स्थानीय नेटवर्क की होगी परत-दर-परत जांच...

गैंगस्टर साबिर आलम को भगाने वालों पर अब कानूनी शिकंजा,झारखंड पुलिस ने कोतवाली में दी लिखित शिकायत...

पहले गैंगस्टर फरार, फिर संरक्षण देने वाला भी गायब...अब झारखंड पुलिस ने तेज की कानूनी कार्रवाई...

क्या अब खुलेगा साबिर आलम का पूरा नेटवर्क? 17 दिन बाद फिर अंबिकापुर पहुंची झारखंड पुलिस

साबिर आलम फरारी कांडः बैदुल खान के बाद अब पूरे संरक्षण नेटवर्क पर कार्रवाई की तैयारी...

अंबिकापुर में गैंगस्टर फरारी का मामला गरमाया, झारखंड पुलिस ने फिर दी दस्तक, कई और नाम जांच के घेरे में...

29 जून की फरारी के बाद पहली बड़ी कार्रवाई, धनबाद पुलिस ने कोतवाली में दिया आवेदन, बैदुल खान पहले से फरार,अब सहयोगियों की भूमिका भी जांच के दायरे में...

-संवाददाता-

अंबिकापुर,15 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। वासेपुर के कुख्यात गैंगस्टर एवं दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा प्राप्त फरार आरोपी साबिर उर्फ शब्बीर आलम प्रकरण में बुधवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया, घटना के 17 दिन बाद झारखंड के धनबाद से पुलिस की टीम एक बार फिर अंबिकापुर पहुंची और सिटी कोतवाली में लिखित शिकायत देकर उन लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कराई, जिन पर आरोपी को पुलिस कार्रवाई के दौरान भगाने और संरक्षण देने का आरोप है।

सूत्रों के अनुसार धनबाद पुलिस ने 29 जून को हुई पूरी घटना का विस्तृत ब्यौरा अंबिकापुर पुलिस को सौंपा है, पुलिस टीम ने उन व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध दर्ज करने और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करने का आग्रह किया है, जिनकी भूमिका आरोपी को फरार कराने में सामने आ रही है, इस मामले में पहले ही 6 जुलाई को अंबिकापुर पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 454/2026 दर्ज किया जा चुका है,जिसमें राजहंस बस संचालक बैदुल खान एवं अन्य के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 249 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद से बैदुल खान भी फरार बताया जा रहा है, पुलिस जांच में यह बात भी सामने आई है कि साबिर (शब्बीर) आलम के भाई जावेद आलम की पत्नी,बैदुल खान की बहन है, पुलिस इसी रिश्तेदारी को आरोपी को संरक्षण मिलने के महत्वपूर्ण कारणों में से एक मानकर जांच कर रही है,आरोप है कि इसी पारिवारिक संबंध का लाभ उठाकर साबिर लंबे समय तक अंबिकापुर के मोमिनपुरा क्षेत्र में छिपकर रह रहा था।

29 जून को क्या हुआ था?- जानकारी के अनुसार 29 जून 2026 की शाम लगभग 5 बजे धनबाद पुलिस को सूचना मिली थी कि वासेपुर का सजायाफ्ता गैंगस्टर साबिर आलम अंबिकापुर में मौजूद है,सूचना के आधार पर झारखंड पुलिस की टीम गोपनीय कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ने पहुंची, बताया जाता है कि पुलिस ने आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले भी लिया था,लेकिन इसी दौरान उसके परिजन और कुछ अन्य लोग मौके पर पहुंच गए,पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच विवाद और धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई। इसी अफरा-तफरी का फायदा उठाकर साबिर आलम और उसका साथी जावेद आलम मौके से फरार हो गए, इसी घटना के बाद पूरे मामले ने राष्ट्रीय स्तर तक चर्चा बटोरी और यह सवाल उठा कि आखिर एक आजीवन कारावास का सजायाफ्ता अपराधी वर्षों तक अंबिकापुर में कैसे छिपा रहा और पुलिस कार्रवाई के दौरान भी कैसे भाग निकला।

अब दो-दो फरार,पुलिस के सामने बड़ी चुनौती-स्थिति अब यह है कि सजायाफ्ता गैंगस्टर साबिर आलम फरार है,उसे संरक्षण देने और उसके विरुद्ध दर्ज एफआईआर के मुख्य आरोपी बैदुल खान भी फरार है,ऐसे में पुलिस के सामने अब दोहरी चुनौती है-एक ओर उम्रकैद के दोषी गैंगस्टर को गिरफ्तार करना और दूसरी ओर उसे संरक्षण देने वाले पूरे नेटवर्क का खुलासा करना, शहर में यह चर्चा भी तेज है कि यदि समय रहते कार्रवाई होती तो शायद आरोपी और उसे भगाने वाले दोनों पुलिस की गिरफ्त में होते, अब लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या पुलिस केवल अपराध दर्ज कर औपचारिकता पूरी करेगी या फिर फरार आरोपियों तक पहुंचकर पूरे नेटवर्क का खुलासा करेगी।

धनबाद पुलिस की मौजूदगी से जांच में तेजी की उम्मीद...

बुधवार को धनबाद पुलिस के दोबारा अंबिकापुर पहुंचने के बाद यह माना जा रहा है कि अब जांच केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहेगी,दोनों राज्यों की पुलिस उपलब्ध वीडियो फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान,तकनीकी साक्ष्यों और अन्य दस्तावेजों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुट गई है,खबर लिखे जाने तक धनबाद पुलिस की टीम अंबिकापुर सिटी कोतवाली में मौजूद थी और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी थी, पुलिस की ओर से आधिकारिक रूप से पूरी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है,जैसे ही आगे की कार्रवाई और नए तथ्य सामने आएंगे, उनका भी प्रकाशन किया जाएगा।

आयुष्मान योजना में फर्जी भर्ती पर सख्ती निजी अस्पतालों की होगी नियमित जांच

संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं ने सभी सीएमएचओ को जारी किए निर्देश, अनियमितता मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई के आदेश

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,15 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों की फर्जी भर्ती कर शासन से भुगतान लेने की लगातार मिल रही शिकायतों को स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता से लिया है। सरगुजा संभाग के संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. अनिल कुमार गुप्ता ने सरगुजा,कोरिया,जशपुर,बलरामपुर और एमसीबी जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएमएचओ) को पत्र जारी कर निजी अस्पतालों का नियमित निरीक्षण करने तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर संबंधित अस्पतालों के खिलाफ तत्काल नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि विभाग को लगातार ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि आयुष्मान भारत योजना से संबद्ध कुछ निजी चिकित्सालय और अस्पताल पात्र हितग्राहियों के नाम पर फर्जी तरीके से भर्ती दर्शाकर शासन से क्लेम प्राप्त कर रहे हैं। कई मामलों में मरीजों को अस्पताल में वास्तविक रूप से भर्ती किए बिना ही उनके नाम पर उपचार दिखाकर राशि का भुगतान लिया जा रहा है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कई अस्पतालों में मरीजों के नाम पर आयुष्मान योजना की राशि का क्लेम तो किया जा रहा है, लेकिन मरीज अस्पताल में भर्ती ही नहीं रहते। इस तरह की गतिविधियां न केवल योजना की मूल भावना के विपरीत हैं, बल्कि शासन के धन के दुरुपयोग और स्वास्थ्य विभाग की छवि को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। यदि निजी अस्पताल योजना का दुरुपयोग कर फर्जी क्लेम करेंगे तो इससे पात्र हितग्राहियों का भरोसा प्रभावित होगा और शासन की मंशा पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। इन्हीं शिकायतों को ध्यान में रखते हुए संभागीय संयुक्त संचालक ने सभी सीएमएचओ को निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी आयुष्मान से संबद्ध निजी अस्पतालों का नियमित निरीक्षण कराया जाए। निरीक्षण के दौरान भर्ती रजिस्टर, मरीजों की वास्तविक उपस्थिति, उपचार संबंधी दस्तावेज और आयुष्मान पोर्टल पर किए गए क्लेम का गंभीरता से सत्यापन किया जाए।

बलरामपुर हवाई पट्टी उन्नयन कार्य में करोड़ों के भुगतान पर सवाल...15 दिन की जांच दो माह बाद भी अधूरी...

आरटीआई कार्यकर्ता डॉ. डीके सोनी ने फर्जी माप पुस्तिका और दस्तावेजों के आधार पर 2.34 करोड़ भुगतान का लगाया आरोप,जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग

-संवाददाता-

बलरामपुर,15 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। बलरामपुर जिले के तामेश्वर नगर स्थित हवाई पट्टी के जीर्णोद्धार कार्य में करोड़ों रुपये के भुगतान को लेकर नया विवाद सामने आया है। आरटीआई कार्यकर्ता डॉ. डीके सोनी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार पर फर्जी माप पुस्तिका (एमबी), बिल-वाउचर और दस्तावेजों के आधार पर शासकीय राशि के भुगतान का आरोप लगाया है। वहीं, संभागीय आयुक्त द्वारा 15 दिनों में जांच पूरी करने के निर्देश दिए जाने के बावजूद लगभग दो माह बाद भी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होने से मामले पर सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के अनुसार तामेश्वर नगर हवाई पट्टी के जीर्णोद्धार कार्य को 28 जून 2024 को तकनीकी स्वीकृति मिली थी। इसके बाद 17 जनवरी 2025 को करीब 3.67 करोड़ रुपये की लागत से कार्यादेश जारी किया गया। अनुबंध के अनुसार कार्य चार माह में पूरा होना था, लेकिन निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। डॉ. सोनी का आरोप है कि अधूरे कार्य के बावजूद विभाग ने ठेकेदार को करीब 2.34 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया। उनका दावा है कि मौके पर जितना निर्माण कार्य दिखाई देता है, वह भुगतान की गई राशि के अनुरूप नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी बिल,वाउचर और माप पुस्तिका तैयार कर शासकीय राशि का आहरण किया गया,जिसमें विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत रही। डॉ. सोनी ने इस संबंध में 12 मई 2026 को सरगुजा संभागीय आयुक्त से शिकायत की थी। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए 19 मई 2026 को संभागीय आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। शिकायतकर्ता का कहना है कि निर्देश जारी होने के लगभग दो माह बाद भी न तो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है और न ही उन्हें जांच प्रक्रिया में शामिल किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले को जानबूझकर लंबित रखकर संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। डॉ. सोनी ने चेतावनी दी है कि यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वे न्यायालय की शरण लेंगे। इस पूरे मामले में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब संभागीय आयुक्त ने निर्धारित समय सीमा में जांच पूरी करने के निर्देश दिए थे, तो अब तक जांच रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आई। यदि जांच पूरी हो चुकी है तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा। मामले को लेकर लोक निर्माण विभाग की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

फोन पर बात करने से टोका तो युवक पर चाकू से हमला,गले पर किया वार

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,15 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। शहर के बौरीपारा क्षेत्र में सोमवार रात फोन पर बात कर रहे एक युवक पर शराब के नशे में धुत युवक ने चाकू से हमला कर दिया। आरोपी ने युवक के गले पर लगातार दो वार किए। मौके पर मौजूद दोस्तों ने बीच-बचाव कर उसकी जान बचाई। घायल को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार,बौरीपारा निवासी दीपक सोनी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 14 जुलाई की रात करीब 9.30 बजे उसके भाई सागर सोनी पर आयुष शर्मा ने जान से मारने की नीयत से धारदार चाकू से हमला किया। हमले में सागर के गले और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक,घटना के समय सागर सोनी किसी कंपनी के अधिकारी से मोबाइल पर बात कर रहा था। उसी दौरान वहां मौजूद आयुष शर्मा शराब के नशे में जोर-जोर से गाली-गलौज कर रहा था। सागर ने उसे शोर और अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा, क्योंकि वह फोन पर बातचीत कर रहा था। इसी बात से नाराज होकर आयुष शर्मा ने पीछे से सागर का सिर पकड़ लिया और चाकू से उसके गले पर वार कर दिया। पहला वार करने के बाद उसने दोबारा हमला करने की कोशिश की, लेकिन सागर के दोस्त करण और अजीज ने तत्काल हस्तक्षेप कर उसे बचा लिया। घायल सागर को परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे।

विवाहिता की मौत के मामले में पति, सास,ससुर व ननद पर एफआईआर

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,15 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। सरगुजा जिला के कमलेश्वरपुर थाना अंतर्गत ग्राम कुनिया में विवाहिता की मौत के मामले में पुलिस ने पति,सास,ससुर और ननद के विरूद्ध दहेज हत्या सहित अन्य धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। मृतिका के पिता संजय यादव पिता गंगाप्रसाद यादव ने पुलिस को बताया है कि उनकी पुत्री मिनी यादव का विवाह वर्ष 2023 में अनोज यादव पिता गोवर्धन यादव निवासी ग्राम कुनिया के साथ हुआ था। शादी के कुछ समय बाद से ही उनकी लडक़ी को पति,ससुर,सास भुनेशरी यादव और ननद के द्वारा दहेज में गाड़ी, सोना,नकदी लाने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे।

निलंबित पुलिसकर्मियों ने ही दबोचा फरार बंदी...बस से कूदकर भागा था हत्या के प्रयास का आरोपी,एक सप्ताह तक लगातार तलाश के बाद सत्तीपारा से गिरफ्तार

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,15 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। रामानुजगंज जेल से पेशी पर लाते समय यात्री बस से फरार हुए हत्या के प्रयास के आरोपी को आखिरकार उन्हीं दो पुलिसकर्मियों ने पकड़ लिया, जिन्हें उसकी फरारी के बाद लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। करीब एक सप्ताह तक लगातार तलाश के बाद दोनों ने आरोपी को अंबिकापुर के सत्तीपारा क्षेत्र से चोरी की बाइक और धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार, हत्या के प्रयास के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में बंद विकास दास को 6 जुलाई को रामानुजगंज जेल से पेशी के लिए अंबिकापुर न्यायालय लाया जा रहा था।

प्रधान आरक्षक रामकुमार और आरक्षक प्रमोद टोप्पो उसे यात्री बस से लेकर आ रहे थे। चलगली मोड़ के पास बस की रफ्तार धीमी होते ही वह खिड़की से कूदकर फरार हो गया था। घटना के बाद दोनों पुलिसकर्मियों को लापरवाही मानते हुए 7 जुलाई को निलंबित कर दिया गया। हालांकि विभागीय कार्रवाई के बावजूद दोनों लगातार फरार बंदी की तलाश में जुटे रहे। मंगलवार रात से शहर में सघन खोजबीन के दौरान बुधवार दोपहर करीब एक बजे उन्होंने विकास दास को सत्तीपारा में घूमते देखा।

करोड़ों की नहर लाइनिंग में 'भ्रष्टाचार' का आरोप!

हाथ लगाते ही झड़ रही कंक्रीट, पहली बारिश में ही टूटने लगी नहर

ठेकेदार-इंजीनियर की मिलीभगत पर उठे सवाल, ग्रामीणों ने की उच्चस्तरीय जांच की मांग

- बेस की मोटाई 8 चं के बजाय केवल 4 इंच!
- कंक्रीट की गुणवत्ता इतनी खराब की हाथ लगाने से रेत की तरह झड़ रही
- जगह-जगह दरारें, पहली बारिश में ही हुआ नुकसान
- सुचना पटल तक नहीं लगाया गया
- इंजीनियर-एसडीओ मुख्यालय से नदारद, काम भगवान भरोसे?

करोड़ों की नहर बनी या भ्रष्टाचार की मिसाल? हाथ लगाते ही झड़ रही कंक्रीट

करोड़ों खर्च,लेकिन पहली बारिश में बहने लगी गुणवत्ता! नहर निर्माण पर उठे बड़े सवाल...

- खड़गवां में करोड़ों की नहर पर सवाल...आधा निर्माण...पहले ही उखड़ने लगी कंक्रीट...
- नहर निर्माण में बड़ा खेल... 8 इंच की जगह 4 इंच ढलाई का आरोप...जांच की मांग...
- कागजों में मजबूत...जमीन पर कमजोर...करोड़ों की नहर निर्माण पर भ्रष्टाचार के आरोप...

- नहर निर्माण में कथित गड़बड़ी...ठेकेदार-इंजीनियर की मिलीभगत के आरोप...ग्रामीणों ने खोला मोर्चा
- करोड़ों की परियोजना पर सवाल...हाथ लगाने से झड़ रही कंक्रीट... जिम्मेदार कौन?
- सिंचाई परियोजना या सरकारी धन की बर्बादी... नहर निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल...

-राजेन्द्र शर्मा -

खड़गवां (एमसीबी),15 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले के खड़गवां विकासखंड में किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से करोड़ों रुपये की लागत से कराए जा रहे नहर लाइनिंग एवं आरसीसी चैनल निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं,स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर अनियमितता,घटिया सामग्री के उपयोग और गुणवत्ता से समझौता किए जाने का आरोप लगाया है, उनका कहना है कि निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही कई स्थानों पर कंक्रीट झड़ने लगी है और पहली ही बारिश में नहर का हिस्सा क्षतिग्रस्त होने लगा है, ग्रामीणों का आरोप है कि जिस परियोजना से वर्षों तक किसानों को लाभ मिलना था,वह निर्माण के दौरान ही दम तोड़ती दिखाई दे रही है, ऐसे में करोड़ों रुपये के सरकारी धन के उपयोग और निर्माण एजेंसी की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े हो गए हैं।

हाथ लगाते ही झड़ रही कंक्रीट...

स्थानीय लोगों के अनुसार सगम जलाशय से जुड़ी प्रस्तावित लगभग एक किलोमीटर लंबी नहर में अभी करीब 600 मीटर तक ही निर्माण कार्य हुआ है,लेकिन तैयार हो चुके हिस्से की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कंक्रीट इतनी कमजोर है कि हाथ से रगड़ने पर ही रेत की तरह झड़ने लगती है,कई स्थानों पर दरारें भी दिखाई दे रही हैं,ग्रामीणों का कहना है कि एक ओर निर्माण कार्य जारी है,वहीं दूसरी ओर पहले से निर्मित हिस्सा टूटना शुरू हो गया है,इससे निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

तकनीकी मानकों की अनदेखी का आरोप...

ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि निर्माण कार्य में निर्धारित तकनीकी मापदंडों का पालन नहीं किया गया,उनका कहना है कि जहां नहर के बेस की मोटाई लगभग 8 इंच होनी चाहिए थी,वहां कथित तौर पर केवल लगभग 4 इंच की ढलाई की गई, इसी प्रकार नहर की साइड स्लोप की मोटाई भी निर्धारित मानकों से कम रखी गई है,यदि यह आरोप सही पाए जाते हैं तो इससे निर्माण की मजबूती और परियोजना की दीर्घकालिक उपयोगिता पर गंभीर असर पड़ सकता है।

सूचना पटल तक नहीं लगाया गया...

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि निर्माण स्थल पर सूचना पटल (डिस्प्ले बोर्ड) नहीं लगाया गया है,इससे परियोजना की लागत,स्वीकृत कार्य,तकनीकी मापदंड, निर्माण एजेंसी और कार्य अवधि जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां आम लोगों से छिपी हुई हैं,स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी निर्माण कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सूचना पटल लगाया जाना आवश्यक होता है, लेकिन यहां इसका पालन नहीं किया गया।

क्योरिंग नहीं होने और घटिया मिश्रण का आरोप-ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण के बाद कंक्रीट की आवश्यक तराई (क्योरिंग) नहीं कराई गई, साथ ही सीमेंट, रेत और गिट्टी का अनुपात भी मानकों के अनुरूप नहीं रखा गया,उनका कहना है कि यही कारण है कि निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही कंक्रीट कमजोर पड़ने लगी है और पहली बारिश में ही कई स्थानों पर क्षति दिखाई देने लगी,यदि इन आरोपों की पुष्टि होती है तो यह सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न खड़े करेगा।

इंजीनियर और ठेकेदार की कथित मिलीभगत पर सवाल...

ग्रामीणों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य की निगरानी करने वाले विभागीय अधिकारियों ने समय पर गुणवत्ता परीक्षण नहीं किया,आरोप लगाया जा रहा है कि ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों की कथित मिलीभगत के कारण घटिया निर्माण कार्य को नजरअंदाज किया जा रहा है,हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र एवं आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। इसलिए इनकी निष्पक्ष जांच आवश्यक मानी जा रही है।

मुख्यालय से नदारद रहने का भी आरोप...

स्थानीय लोगों ने जल संसाधन विभाग खड़गवां में पदस्थ इंजीनियर एवं एसडीओ पर भी सवाल उठाए हैं, उनका आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी अक्सर मुख्यालय में उपलब्ध नहीं रहते, जिसके कारण करोड़ों रुपये के निर्माण कार्यों की प्रभावी निगरानी नहीं हो पा रही है,ग्रामीणों का कहना है कि यदि अधिकारी नियमित निरीक्षण करते तो निर्माण की गुणवत्ता को लेकर इतनी शिकायतें सामने नहीं आतीं।

जनपद सदस्य पहुंचे मौके पर- मामले की जानकारी मिलने के बाद जनपद सदस्य युगांतर श्रीवास्तव निर्माण स्थल पहुंचे और कार्य का निरीक्षण किया,उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप नहीं हो रहा है तो इसकी उच्चस्तरीय तकनीकी जांच होनी चाहिए,उन्होंने सूचना पटल नहीं लगाए जाने,निर्माण कार्य के समय से पहले क्षतिग्रस्त होने और गुणवत्ता संबंधी शिकायतों की जांच कर दोषी अधिकारियों एवं ठेकेदार के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की।

किसानों में चिंता-क्षेत्र के किसानों का कहना है कि वर्षों की मांग के बाद नहर निर्माण कार्य शुरू हुआ था, यदि निर्माण ही घटिया होगा तो भविष्य में सिंचाई व्यवस्था प्रभावित होगी और किसानों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाएगा, ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि निर्माण कार्य का थर्ड पार्टी तकनीकी परीक्षण कराया जाए और यदि गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो संबंधित एजेंसी से दोबारा मानक के अनुरूप निर्माण कराया जाए।

अब उठ रहे हैं कई बड़े सवाल...

- करोड़ों रुपये की परियोजना में गुणवत्ता की निगरानी कौन कर रहा है?
- क्या निर्माण कार्य स्वीकृत तकनीकी मानकों के अनुसार हो रहा है?
- सूचना पटल क्यों नहीं लगाया गया?
- यदि कंक्रीट हाथ लगाने से झड़ रही है तो गुणवत्ता परीक्षण किसने किया?
- पहली बारिश में निर्माण क्षतिग्रस्त होने की जिम्मेदारी किसकी होगी?
- क्या विभाग स्वतंत्र तकनीकी जांच कराएगा?

प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग...

ग्रामीणों और किसानों ने जिला प्रशासन तथा जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष तकनीकी जांच कराने की मांग की है, उनका कहना है कि यदि जांच में अनियमितता या गुणवत्ता में कमी सामने आती है तो दोषी अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए,ताकि सरकारी धन की बर्बादी रोकी जा सके और किसानों को गुणवत्तापूर्ण सिंचाई सुविधा मिल सके।

राम मंदिर चंदा और कथित वित्तीय अनियमितताओं के विरोध में कांग्रेस का हल्लाबोल

कार्यालय से अग्रसेन चौक तक निकाली पैदल रैली

-संवाददाता-

सूरजपुर,15 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए देशभर से एकत्र किए गए चंदे में कथित वित्तीय अनियमितताओं और जमीन खरीद-फरोख्त से जुड़े आरोपों को लेकर कांग्रेस ने सूरजपुर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज डालमिया और ब्लॉक कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष जफर हैदर के संयुक्त नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से अग्रसेन चौक तक पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया तथा मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की।

आस्था से जुड़े विषय पर गंभीर सवाल उठाए-विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रभु श्रीराम करोड़ों देशवासियों की आस्था के केंद्र हैं, मंदिर निर्माण के लिए देशभर के लोगों ने अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ आर्थिक सहयोग दिया था। उनका आरोप है कि मंदिर निर्माण से जुड़े चंदे और भूमि खरीद से संबंधित मामलों में सामने आए कथित वित्तीय अनियमितताओं ने लोगों की भावनाओं को आहत किया है, कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि चंदे के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता हुई है, तो पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके।

सड़क से सदन तक संघर्ष का ऐलान-प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे को गंभीरता से उठा रही है और कथित अनियमितताओं के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले में पारदर्शिता की मांग करती है और जांच पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा,नेताओं ने आरोप लगाया कि जनता की आस्था और विश्वास के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अग्रसेन चौक में हुआ विरोध प्रदर्शन-कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए अग्रसेन चौक पहुंचकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया, इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कथित वित्तीय अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग उठाई।

बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी रहे मौजूद-कार्यक्रम में पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष नरेश राजवाड़े, नगर पालिका अध्यक्ष कुसुमलता राजवाड़े,शहर कांग्रेस संगठन महामंत्री मनोज अग्रवाल,हेमेंद्र गुप्ता, मंडल अध्यक्ष वीरेन्द्र बंसल, विष्णु कसेरा,एनएसयूआई जिलाध्यक्ष आकाश साहू, भावना सिंह नेताम, नीरज तायल, मधु साहू, धर्मेन्द्र सिंह, राजेश साहू,सूरज अवस्थी,किशुन सिंह, संजय जैन, दिनेश सोनी, रामचन्द्र राजवाड़े, सैयद सलीम,गिरधारी साहू,प्रशांत साहू,चंदूल राम,लालचंद देवांगन,प्रवीण सोनी,शिवम साहू, अफरोज खान,कबीर देवांगन,आशीष कुशवाहा, शिव राजवाड़े,मनीष देवांगन,मदन पैकरा,चिराग यादव,सोनू यादव,आशीष कुमार,मुकेश देवांगन, लक्की सिंह,अर्जुन यादव,सत्या प्रजापति,मोंटी राजवाड़े,विकाश सिंह,पृथ्वी देवांगन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही पर प्रशासन सख्त

निर्माण नहीं करने वाले हितग्राहियों को अंतिम चेतावनी

रामानुजनगर में एसडीएम ने बैठक लेकर दी हिदायत,सूरजपुर एसडीएम कोर्ट में 22 हितग्राहियों की पेशी,अगली सुनवाई तक आवास पूरा नहीं होने पर होगी कानूनी कार्रवाई

-संवाददाता-

सूरजपुर,15 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत स्वीकृत आवासों के समयबद्ध निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए सूरजपुर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है, कलेक्टर रेना जमील के निर्देश एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजेंद्र सिंह पाटले के मार्गदर्शन में जिलेभर में आवास निर्माण कार्यों की लगातार समीक्षा की जा रही है, इसी क्रम में रामानुजनगर और सूरजपुर अनुविभाग में निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वाले हितग्राहियों के विरुद्ध कार्रवाई तेज कर दी गई है।

रामानुजनगर में एसडीएम ने दी अंतिम चेतावनी-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अजय मोडियम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के उन हितग्राहियों की बैठक ली, जिन्होंने शासन से आवास निर्माण के लिए राशि प्राप्त करने के बावजूद बार-बार समझाइश और नोटिस दिए जाने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया, बैठक में एसडीएम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शासन द्वारा दी गई राशि का उपयोग केवल आवास निर्माण के लिए किया जाना चाहिए, उन्होंने हितग्राहियों को अंतिम अवसर देते हुए निर्देश दिया कि अगली समीक्षा से पहले निर्माण कार्य शुरू कर उसे शीघ्र पूर्ण करें, उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इसके बाद भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया तो संबंधित हितग्राहियों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार को सुरक्षित और सम्मानजनक पक्का आवास उपलब्ध कराना है। इसलिए सभी हितग्राही योजना की राशि का सदुपयोग करते हुए निर्धारित समय-सीमा में अपना आवास पूर्ण करें।

सूरजपुर एसडीएम कोर्ट में 22 हितग्राहियों की पेशी-वहीं दूसरी ओर,सूरजपुर अनुविभाग में भी प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए एसडीएम न्यायालय में ऐसे हितग्राहियों की सुनवाई की, जिन्होंने राशि मिलने के बावजूद आवास निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया या शुरू ही नहीं किया, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शिवानी जायसवाल की अध्यक्षता में हुई सुनवाई के दौरान जनपद पंचायत सूरजपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत चंद्रपुर, नवगई, नेवरा, परी एवं पीढ़ा के कुल 22 हितग्राही एसडीएम न्यायालय में उपस्थित हुए, सुनवाई के दौरान एसडीएम ने हितग्राहियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि शासन द्वारा आवास निर्माण के लिए प्रदान की गई राशि का उपयोग किसी अन्य कार्य में करना नियमों का उल्लंघन है, उन्होंने सभी हितग्राहियों को अंतिम अवसर देते हुए निर्देशित किया कि अगली पेशी से पूर्व अपने आवास का निर्माण कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण करें तथा अगली सुनवाई के दौरान निर्मित आवास की अद्यतन फोटो न्यायालय में प्रस्तुत करें।

पीएम आवास निर्माण में लापरवाही पर प्रशासन सख्त

हितग्राहियों को दी अंतिम चेतावनी, शीघ्र पूर्ण करें निर्माण कार्य

- राशि प्राप्त करने के बावजूद निर्माण नहीं करने वाले हितग्राहियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही शुरू
- रामानुजनगर और सूरजपुर में एसडीएम ने की समीक्षा और सुनवाई, दिए कड़े निर्देश
- अगली समीक्षा/पेशी तक निर्माण पूर्ण नहीं होने पर होगी कानूनी कार्यवाही

शासन की मंशा के अनुरूप समय-सीमा में पूर्ण करें पक्का आवास : जिला प्रशासन

योजना का उद्देश्य पूरा करने पर प्रशासन का जोर...

जिला प्रशासन का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों को पक्का और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है, शासन द्वारा दी गई राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए ताकि योजना का लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक समय पर पहुंच सके, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन हितग्राहियों ने राशि प्राप्त करने के बाद भी निर्माण कार्य लंबित रखा है, उनके विरुद्ध अब चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी। पहले समझाइश, फिर नोटिस और अब न्यायालयीन प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें अंतिम अवसर दिया जा रहा है।

लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई...

जिला प्रशासन ने सभी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राहियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने आवास का निर्माण पूर्ण करें और शासन की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ लें, साथ ही चेतावनी दी गई है कि जो हितग्राही लगातार लापरवाही बरतेंगे या योजना की राशि का दुरुपयोग करेंगे, उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की उदासीनता या अनियमितता अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

CMYK

नौगई तिहरे हत्याकांड की केस डायरी सीबीआई के हवाले

अब हर पहलू की होगी गहराई से जांच

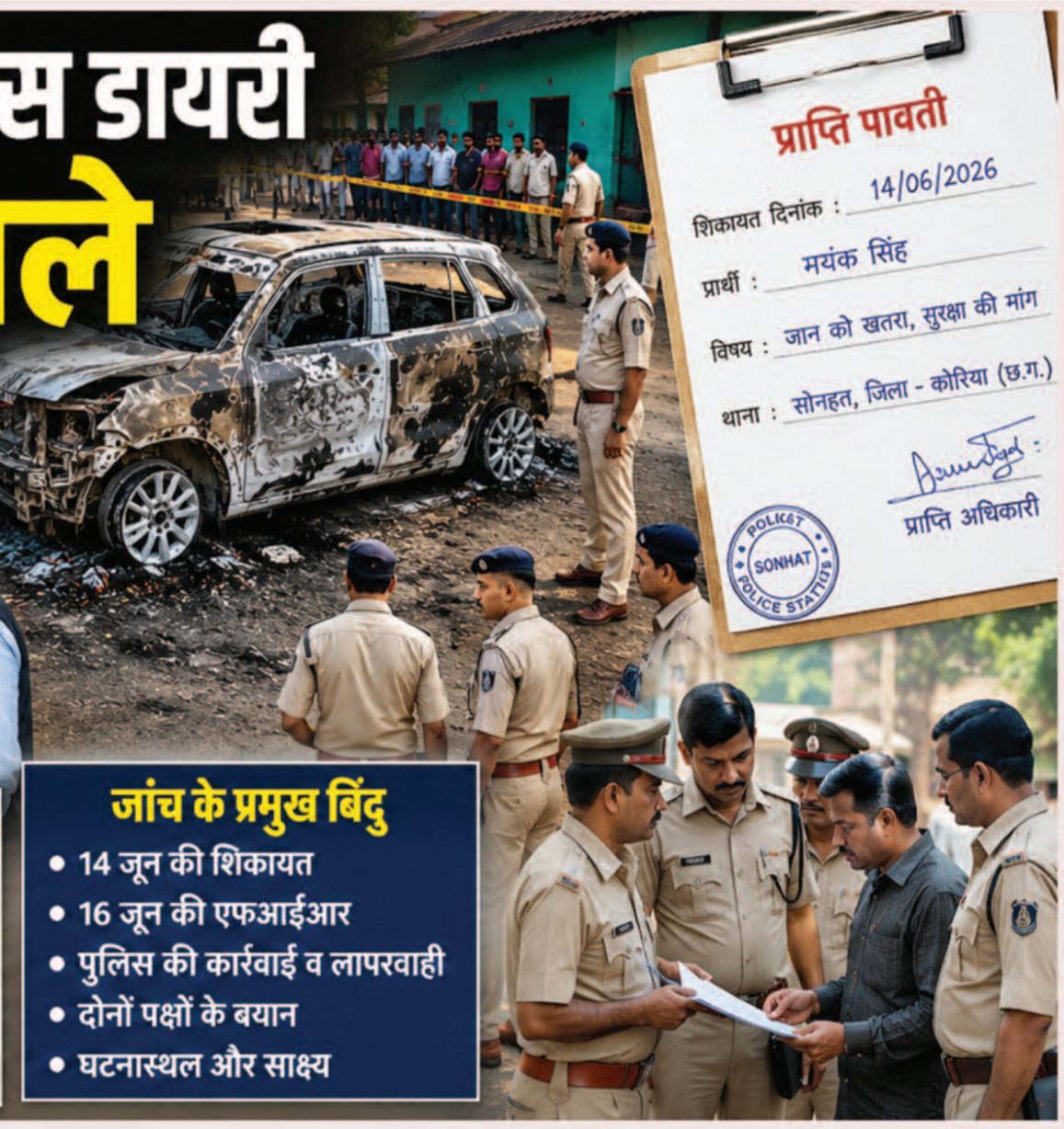

नौगई हत्याकांड में सीबीआई की एंट्री तेज...केस डायरी सौंपते ही स्थानीय पुलिस की भूमिका पर बढ़ी नजर...

सीबीआई ने संभाली नौगई हत्याकांड की कमान...14 जून की शिकायत से पुलिस की कार्यप्रणाली तक होगी नए सिरे से जांच...

नौगई तिहरे हत्याकांड : अब सीबीआई खंगालेगी पुलिस की कार्रवाई,केस डायरी सौंपने के बाद जांच का नया अध्याय शुरू...

केस डायरी सीबीआई को सौंपते ही बढ़ीं उम्मीदें,क्या अब खुलेंगे नौगई हत्याकांड के अनसुलझे राज?

नौगई हत्याकांड : सीबीआई की जांच में पुलिस की भूमिका भी बनेगी बड़ा सवाल?

14 जून की शिकायत,16 जून की एफआईआर और फिर तिहरा हत्याकांड... अब हर कड़ी जोड़ेगी सीबीआई

सीबीआई के हाथों में नौगई हत्याकांड की पूरी फाइल,अब जांच के दायरे में आएंगे पुलिस के फैसले भी?

नौगई तिहरे हत्याकांडः सात सदस्यीय सीबीआई टीम ने संभाली जांच,पुलिस की विवेचना का होगा परीक्षण...

क्या 14 जून की शिकायत दबाना बनी नौगई हत्याकांड की सबसे बड़ी चूक? अब सीबीआई तलाशेगी हर जवाब

पहले दिन छह सदस्यीय दल के साथ कोरिया पहुंची सीबीआई ने अगले ही चरण में अपनी टीम का विस्तार कर दिया, अब जांच दल में एक अतिरिक्त एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी को भी शामिल किया गया है,जिससे टीम की संख्या सात हो गई है,पहले दिन कोरिया पहुंची सीबीआई की टीम में एक डीएसपी,एक एडिशनल एसपी,दो निरीक्षक और दो आरक्षक शामिल थे, अब टीम में एक और एडिशनल एसपी को शामिल किया गया है,जिससे जांच दल की संख्या सात हो गई है,इससे यह संकेत भी माना जा रहा है कि एजेंसी इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेकर बहुआयामी जांच की तैयारी कर रही है,सूत्रों का मानना है कि यह संकेत है कि सीबीआई इस मामले को केवल एक हत्या के प्रकरण के रूप में नहीं,बल्कि उससे जुड़े सभी परिस्थितिजन्य तथ्यों,पुलिस की भूमिका,पूर्व शिकायतों,प्रशासनिक निर्णयों तथा पूरे घटनाक्रम की श्रृंखला के रूप में देख रही है,सीबीआई के कोरिया पहुंचते ही पूरे जिले का ध्यान इस जांच पर केंद्रित हो गया,मीडिया लगातार एजेंसी की गतिविधियों पर नजर बनाए रही,जबकि मृतकों के परिजनों ने भी उम्मीद जताई कि अब उन्हें निष्पक्ष और तथ्याधारित जांच के माध्यम से न्याय मिल सकेगा।

घटनास्थल से शुरू हुई जांच,थाने पहुंचकर देखे दस्तावेज और जली गाड़ियां-सीबीआई की टीम सबसे पहले चरचा स्थित विश्रामगृह पहुंची,जहां प्रारंभिक बैठक के बाद अधिकारियों ने सीधे नौगई घटनास्थल का रुख किया,टीम ने उस स्थान का बारीकी से निरीक्षण किया जहां चार लोगों को जिंदा जलाने की वारदात हुई थी,अधिकारियों ने घटनास्थल की भौगोलिक स्थिति, पहुंच मार्ग, संभावित घटनाक्रम तथा उपलब्ध भौतिक साक्ष्यों का अध्ययन किया,इसके बाद टीम थाना सोनहत पहुंची,जहां उन्होंने घटना से संबंधित अभिलेख,केस डायरी,जब्ती पंचनामा, बरामदगी रिकॉर्ड,एफआईआर,बयान तथा अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया, थाने परिसर में रखी गई जली हुई गाड़ियों का भी निरीक्षण किया गया, बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने यह समझने का प्रयास किया कि स्थानीय पुलिस ने किन परिस्थितियों में विवेचना की दिशा तय की थी।

अब सीबीआई दर्ज करेगी अपना अलग मामला-सूत्रों के अनुसार सीबीआई अब इस पूरे प्रकरण को अपने रिकॉर्ड में दर्ज करेगी,इसके बाद मामले को एक स्वतंत्र सीबीआई केस नंबर आवंटित किया जाएगा और उसी के आधार पर आगे की विवेचना संचालित होगी, इस प्रक्रिया के बाद सीबीआई स्थानीय पुलिस की विवेचना से स्वतंत्र होकर अपनी जांच करेगी,यदि आवश्यक हुआ तो पूर्व में दर्ज बयान,जब्ती,फोरेंसिक रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजों का पुनर्मूल्यांकन भी किया जा सकता है।

16 जून की शिकायत पर तत्काल अपराध दर्ज,यही सबसे बड़ा सवाल-पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है,14 जून को मयंक सिंह की शिकायत पर अपराध दर्ज नहीं हुआ,जबकि 16 जून को दूसरे पक्ष की शिकायत पर तत्काल अपराध दर्ज कर लिया गया,इसी दिन शाम और रात के बीच घटनाक्रम तेजी से बदला और नौगई का वह जघन्य तिहरा हत्याकांड सामने आया जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया,अब यह अंतर भी जांच का विषय बन सकता है कि दोनों शिकायतों के साथ पुलिस का रवैया अलग-अलग क्यों रहा।

मृतकों के परिजनों ने स्थानीय पुलिस पर लगाए थे गंभीर आरोप-मृतकों के परिजनों का आरोप था कि स्थानीय पुलिस ने प्रारंभिक जांच में निष्पक्षता नहीं बरती,परिजनों ने यह भी कहा था कि घटना के बाद पुलिस के कुछ प्रारंभिक बयान ऐसे थे,जिनसे उन्हें लगा कि पूरे मामले को अलग दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है,इन्हीं आरोपों के बाद परिजनों ने राज्य सरकार से सीबीआई जांच की मांग की थी, सरकार द्वारा अनुशंसा के बाद अब सी बी आई आधिकारिक रूप से जांच कर रही है।

सीबीआई की कार्यशैली बनी चर्चा का विषय-कोरिया जिले में पहली बार इतने चर्चित मामले में सीबीआई की सक्रिय मौजूदगी देखने को मिली है, स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि एजेंसी अत्यंत व्यवस्थित तरीके से प्रत्येक तथ्य का सत्यापन कर रही है,पूछताछ के दौरान अधिकारियों द्वारा घटनाक्रम को समय-श्रंखला में समझने,दस्तावेजों का मिलान करने तथा पुलिस की विवेचना के प्रत्येक चरण को समझने का प्रयास किया जा रहा है,इसी कारण स्थानीय पुलिस अधिकारियों के लिए भी यह जांच प्रक्रिया एक अलग अनुभव मानी जा रही है।

क्या पुलिस की भूमिका भी होगी जांच के दायरे में?-अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या सीबीआई केवल आरोपियों की भूमिका की जांच करेगी या फिर पुलिस की कार्रवाई भी जांच के दायरे में आएगी, विशेष रूप से निम्न बिंदुओं पर नजर रहेगी 14 जून की शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या पुलिस को पहले से संभावित विवाद की जानकारी थी? क्या समय रहते सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सकती थी? क्या दोनों पक्षों के बीच तनाव को देखते हुए पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की गई थी? क्या किसी स्तर पर लापरवाही हुई? क्या किसी अधिकारी ने अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वहन नहीं किया? इन प्रश्नों के उत्तर अब सीबीआई जांच के बाद ही सामने आएंगे।

पहले चरण में पुलिस अधिकारियों से पूछताछ पर रहेगा जोर...

जानकारी के अनुसार प्रारंभिक चरण में सीबीआई का सबसे अधिक फोकस स्थानीय पुलिस की कार्यवाही को समझने पर रहेगा, जांच एजेंसी यह जानने का प्रयास करेगी कि घटना से पहले पुलिस को क्या-क्या सूचनाएं मिली थीं,किन शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई, दोनों पक्षों की शिकायतों का परीक्षण किस प्रकार किया गया, किन आधारों पर अपराध दर्ज किए गए, क्या प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी, संभावित विवाद को रोकने के लिए क्या पुलिस बल लगाया गया था, वरिष्ठ अधिकारियों को क्या जानकारी भेजी गई थी,बताया जा रहा है कि प्रारंभिक विवेचना करने वाले अधिकारियों से भी विस्तृत पूछताछ की जा सकती है।

14 जून की शिकायत बन सकती है जांच की सबसे अहम कड़ी...

पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में अब 14 जून 2026 का वह शिकायत पत्र सामने आया है,जिसे घायल मयंक सिंह ने थाना सोनहत में दिया था, इस शिकायत में उन्होंने कथित रूप से त्रिपाठी परिवार के सात लोगों के नाम लेकर अपनी तथा अपने साथियों की सुरक्षा को खतरा बताया था, शिकायत में यह भी उल्लेख था कि उनके साथ किसी भी समय गंभीर अप्रिय घटना हो सकती है,उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस आवेदन पर थाना की प्राप्ति पावती तो दी गई, लेकिन अपराध दर्ज नहीं किया गया, यहीं से कई गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं यदि शिकायत प्राप्त हुई थी तो प्राथमिकी क्यों दर्ज नहीं हुई? क्या शिकायत की जांच हुई? क्या शिकायतकर्ता को सुरक्षा उपलब्ध कराई गई? क्या दोनों पक्षों को बुलाकर विवाद समाप्त कराने का प्रयास किया गया? क्या वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना भेजी गई? अब माना जा रहा है कि सीबीआई इस शिकायत पत्र को जांच की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देख सकती है।

जांच का दायरा हो सकता है और व्यापक...

कानूनी जानकारों का मानना है कि सीबीआई किसी भी जांच को केवल उपलब्ध एफआईआर तक सीमित नहीं रखती,यदि जांच के दौरान नए तथ्य,नए दस्तावेज,अतिरिक्त साक्ष्य अथवा संभावित लापरवाही सामने आती है तो एजेंसी जांच का दायरा बढ़ा सकती है, यही कारण है कि 14 जून की शिकायत,दोनों पक्षों की एफआईआर,प्रारंभिक पुलिस बयान, घटनास्थल का निरीक्षण, जली गाड़ियां, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर),इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य तथा पुलिस अधिकारियों के निर्णय-सभी अब संभावित जांच के विषय माने जा रहे हैं।

अब पूरे प्रदेश की नजर सीबीआई की अगली कार्रवाई पर...

कोरिया पुलिस द्वारा केस डायरी सौंप जाने के बाद अब नौगई तिहरे हत्याकांड की पूरी जिम्मेदारी सीबीआई के कंधों पर है,आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि जांच एजेंसी किन अधिकारियों से पूछताछ करती है,किन दस्तावेजों को सबसे अधिक महत्व देती है और क्या वह इस पूरे घटनाक्रम की जांच केवल हत्या तक सीमित रखती है या फिर उन प्रशासनिक और पुलिसीय निर्णयों की भी समीक्षा करती है,जिन पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, फिलहाल इतना तय है कि यह जांच केवल एक आपराधिक प्रकरण नहीं रह गई है,बल्कि अब यह उन सभी निर्णयों, शिकायतों,कार्रवाई और संभावित चूकों की भी परीक्षा होगी,जिन्होंने इस जघन्य तिहरे हत्याकांड से पहले और बाद में पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है।

हिड़मा पर टिप्पणी को लेकर भाजपा का कांग्रेस पर हमला,विधायक अटल श्रीवास्तव से बिना शर्त माफी की मांग

भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने कहा...दुर्दांत नक्सली का महिमामंडन शहीद जवानों और निर्दोष आदिवासियों का अपमान,कांग्रेस नेतृत्व से मांगा स्पष्टीकरण

-संवाददाता-
सूरजपुर,15 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव द्वारा कथित रूप से दुर्दांत नक्सली कमांडर हिड़मा को लेकर की गई टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है,भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह ने कांग्रेस विधायक के बयान की कड़ी निंदा करते हुए इसे छत्तीसगढ़ के शहीद जवानों, नक्सली हिंसा के पीड़ित निर्दोष आदिवासियों और लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान बताया है,उन्होंने अटल श्रीवास्तव से सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है।

भाजपा ने लगाया नक्सलवाद के प्रति नरम रुख का आरोप-सत्यनारायण सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के एक जिम्मेदार विधायक द्वारा हिड़मा जैसे कुख्यात नक्सली का कथित महिमामंडन करना कांग्रेस की नक्सलवाद के प्रति सोच को उजागर करता है, उन्होंने कहा कि हिड़मा का नाम झीरम घाटी हमला, ताड़मेटला और बीजापुर-सुकमा सहित अनेक बड़े नक्सली हमलों से जोड़ा जाता है, जिनमें कई सुरक्षाकर्मी और आम नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार की सकारात्मक टिप्पणी शहीदों के परिवारों की भावनाओं को आहत करने वाली है।

कांग्रेस नेतृत्व से मांगा जवाब-भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व और आलाकमान से भी सवाल पूछा कि क्या पार्टी अपने विधायक की कथित टिप्पणी से सहमत है, उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस इस बयान का समर्थन नहीं करती, तो अब तक विधायक के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, उन्होंने कहा कि जनता यह जानना चाहती है कि कांग्रेस की आधिकारिक सोच क्या है और क्या पार्टी इस प्रकार की टिप्पणियों से स्वयं को अलग करती है।

बस्तर में विकास और नक्सलवाद पर भी साधा निशाना-सत्यनारायण सिंह ने कहा कि वर्तमान में राज्य और केंद्र सरकार बस्तर क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने के साथ-साथ नक्सलवाद के खिलाफ अभियान चला रही है, उनका आरोप है कि ऐसे समय में कांग्रेस नेताओं की इस प्रकार की टिप्पणियां गलत संदेश देती हैं, उन्होंने कहा कि जिन परिवारों ने नक्सली हिंसा में अपने परिजनों को खोया है, उनके लिए ऐसी टिप्पणियां अत्यंत पीड़ादायक हैं।

माफी नहीं मांगने पर आंदोलन की चेतावनी-भाजपा ने मांग की है कि विधायक अटल श्रीवास्तव इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगें, साथ ही चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं किया गया,तो पार्टी इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर सदन तक लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करेगी।

CMYK

मुंह छिपाकर क्यों बनाया आशिकी का पोस्टर?

समीर अंजान ने 36 साल बाद खोला फिल्म की महासफलता का राज

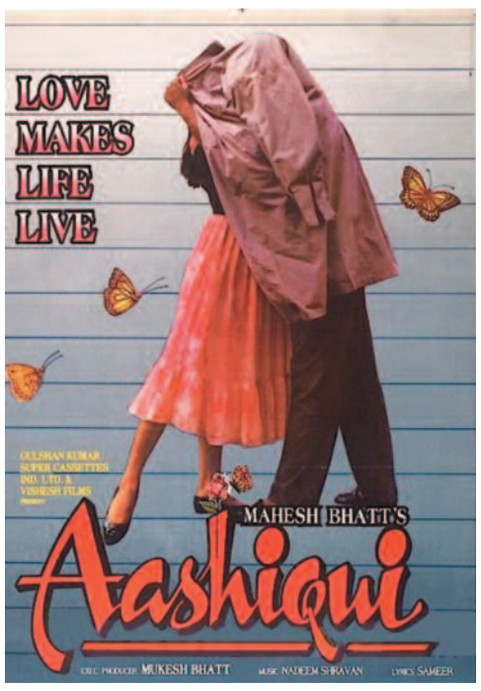

समीर अंजान ने फिल्म आशिकी की महासफलता का राज खोला, बताया कि कैसे यह पहले एक संगीत एल्बम के रूप में शुरू हुई थी। आशिकी फिल्म मेरे लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं मेरे करियर का माइल स्टोन है। अगर मैं ये कहूं कि जो आशिकी फिल्म का म्यूजिक है वो एक रिकॉर्ड है और मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है उस रिकॉर्ड को क्रॉस करना किसी के लिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो एक दौर था और एक अच्छा दौर था जब गीत संगीत को उतना महत्व दिया जाता था। गीत संगीत को लोग फिल्मों की कहानी के इर्द-गिर्द ही बनाते थे। खास तौर से मैं आज आशिकी पे बात कर रहा हूं तो मैं बताना चाहता हूं कि दरअसल आशिकी कोई फिल्म थी ही नहीं पहले। एक अल्बम बनाने की बात चली जब अनुराधा पौडवाल जी नदीम श्रवण का गाना गाने आई। उन्होंने गाना सुना और उनको गाना बड़ा पसंद आया तो उन्होंने कहा कि आप लोग गुलशन जी से क्यों नहीं मिलते। तो उन्होंने कहा कि दीदी हम लोग तो गुलशन जी तक पहुंचना हमारा मुश्किल है क्योंकि हम उनको जानते नहीं और हम लोग नए लोग हैं तो शायद हम से वो मिलेंगे भी नहीं।

अनुराधा पौडवाल ने करवाई थी मुलाकात

इस पर अनुराधा पौडवाल ने कहा कि कोई बात नहीं मैं आपको मिलवाती हूं। एक दिन फिक्स हुआ और हम उनसे मिले। हम लोग मिले तो गुलशन जी ने कहा कि देखो भाई हम फिल्म तो कोई बना नहीं रहे हैं। हम प्राइवेट अल्बम जरूर कर रहे हैं और हमारा एक एल्बम बहुत चल गया है लाल दुपट्टा मलमल का सो आप लोग उसी तरह कोई एक कोई एक एल्बम बनाइए। तो वहीं सब बैठे हुए थे वहीं एल्बम बनाने का प्लान फिक्स हुआ। और आशिकी जो है एक एल्बम के रूप में बनाने की बात फिक्स हो गई कि चलो भाई हम एक एल्बम करते हैं। उस एल्बम का वहीं नाम डिसाइड हुआ कि इसका नाम रखेंगे चाहत। हमने पहला गाना मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में बनाया और वहां से कहानी शुरू हुई। तब उस वक्त गुलशन कुमार जी एक म्यूजिक बैंक बना रहे थे कि उनके पास जो भी नए प्रोड्यूसर्स आए, बोले कि सर हमारे पास एक म्यूजिक बैंक है आप सुन लीजिए तो आप हमसे म्यूजिक ले लीजिए और वही म्यूजिक मैं आपका खरीद भी लूंगा।

महेश भट्ट ने रखा था फिल्म बनाने का प्रस्ताव

हमारे पास रेडी म्यूजिक है मैं आपको दे दूंगा। संयोगवश एक दिन महेश जी घूमते हुए आए, हम लोग चाहत के तीन गाने रिकॉर्ड कर चुके थे और वही गाने उनको सुना दिए। तो महेश जी इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने बोला गुलशन जी ये गाने मेरे हो गए और अब मैं कहानी लिखूंगा इन गानों के इर्द-गिर्द। ये पहली बार हुआ कि गानों को सुनके एक डायरेक्टर इंस्पायर हो के एक फिल्म क्रिएट करने की बात करने लगा।

उन्होंने ये पिक्चर का टाइटल रख दिया आशिकी। फिर उन्होंने बाद में हम लोगों को बुलवाया और पूरी कहानी सुनाई कि भाई देखो ये कहानी है और मैं ये चाहता हूं। फिर हम लोगों ने काम शुरू किया। इसके बाद आशिकी का टाइटल सॉन्ग सांसों की जरूरत है जैसे बना। फिर हमने एक-एक करके सारे गाने रिकॉर्ड किए और म्यूजिक का काम खत्म हुआ।

डिस्ट्रीब्यूटर की बातों से डर गए थे गुलशन कुमार

अब वो पिक्चर का जब पहला ट्रायल हुआ तो डिस्ट्रीब्यूटर लोगों ने कहा कि यार ये म्यूजिक जो है ये फिल्म का म्यूजिक नहीं लग रहा है ये अल्बम का म्यूजिक लगता है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इस म्यूजिक में ये जो दो एक्टर एक्ट्रेस हैं ये देखने में अच्छे नहीं हैं। इनके साथ बात बनेगी नहीं। खैर तो मुझे फोन आया गुलशन जी का कि भैया ऐसा लग रहा है तो अभी मैं पिक्चर इसको खत्म करता हूं। अब हम इसको बनाएंगे क्या बोलते हैं केवल प्राइवेट एल्बम्स करके रिलीज करेंगे। अच्छा भाई ठीक है मैंने फोन किया महेश जी महेश जी बोले अरे पागल हो गया ऐसे कैसे होगा मैं नदीम श्रवण और हम लोग गए तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं उन्होंने गुलशन जी से कहा कि क्यों आपको ऐसा लग रहा है? इस पर गुलशन जी बोले कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटरों का ये रिस्पांस आया है तो उन्होंने बोला देखिए मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि ये म्यूजिक आपकी फिल्म का नहीं इस सदी का सबसे बड़ा म्यूजिक होगा।

महेश भट्ट ने साइन किया था ब्लैंक पेपर

अब आप बोलिए वो तो उसको लगा कि यार इतना बड़ा डायरेक्टर इतनी बड़ी गारंटी देने के लिए तैयार है तो उन्होंने कहा कि अब एक काम करेंगे अगर आपको इतना भरोसा है तो आप ब्लैंक पेपर पे लिखेंगे तो महेश जी ने ब्लैंक पेपर पे लिख दिया। अब वो भी गुलशन जी क्या है गुलशन जी का विजन बड़ा कमाल का था उनको लगा कि यार एक आदमी इतनी बड़ी बात कह रहा है डायरेक्टर कि मैं डायरेक्शन छोड़ दूंगा अगर ये म्यूजिक नहीं चला तो उन्होंने बोला ठीक है गुलशन जी अगर ये बात हुई तो चलो अब आज से मैं आपको एक बात बताता हूं कि मैं इस पिक्चर का इतना बड़ा प्रमोशन करूंगा जो आज तक नहीं हुआ।

क्यों नहीं दिखाया लड़का-लड़की का चेहरा

अच्छा बोले फिर ये तो हो गया सर। अब ये लड़का लड़की का क्या करेंगे? बोले उसका भी एक रास्ता मेरे पास है आप एक काम करिए मैं एक ऐसा पोस्टर क्रिएट करूंगा जिसमें शुरू में लड़के लड़की का मुंह दिखाओ ही मत। उसके ऊपर मैं कोड डाल देता हूं और जब म्यूजिक इसका सुपरहिट हो जाएगा तो पिक्चर रिलीज करेंगे तो लड़का लड़की कैसे भी दिखें वो पिक्चर हिट हो जाएगी। इस बात को लेकर गुलशन जी माने फिर प्रमोशन शुरू हुआ और ऐसा जबरदस्त उन्होंने प्रमोशन किया कि जिस गली जिस नुक्कड़ जिस कोने में गए यही म्यूजिक सुनाई देने लगा और ऐसा लगा कि जैसे पूरे म्यूजिक का सिनारियो चेंज हो गया उसकी पूरी दुनिया बदल गई।

रातों-रात नदीम श्रवण हम लोग स्टार हो गए और इतनी फिल्में मिलनी शुरू हो गईं। वो फिल्म हो गई इतनी बड़ी हिट मगर ये बात कॉमन आदमी को पता ही नहीं बेचारे। उनको पता क्या पता कि क्या हुआ फिल्म के साथ उनको तो भाई पिक्चर सुपरहिट हो गई उनके गाने आज भी लोग गुनगुनाते हैं और हम लोग जब जाते थे फिल्म देखने तो मैंने कितनी बार देखा कि लोग फिल्म देखने आते थे और जैसे ही गाना खत्म होता था बाहर चले जाते थे वे चाय पीते थे घूमते थे। उनको करेक्ट अंदाजा होता था कितने बजे अब गाना आएगा फिर सब लोग वहां से गाना देखने अंदर आ जाते थे।

थलपति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' 23 जुलाई,2026 को रिलीज होगी

थलपति विजय स्टारर आने वाली फिल्म 'जन नायकन' के मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। यह फिल्म, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का आखिरी सिनेमैटिक वेंचर है, 23 जुलाई, 2026 को दुनिया भर के थिएटर्स में रिलीज होगी। यह फिल्म थलपति विजय के शानदार सिनेमैटिक सफर में एक अहम पल

को दिखाती है, और इंडियन सिनेमा की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक है। यह फिल्म उस करियर को एक सही ट्रिब्यूट देने का वादा करती है जिसने इंडियन सिनेमा पर एक गहरी छाप छोड़ी है। एच. विनोथ द्वारा डायरेक्टेड और केएनव्ही प्रोडक्शंस द्वारा प्रोड्यूस, जन नायकन दुनिया भर के दर्शकों के लिए एक शानदार सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने के लिए एक शानदार क्रिएटिव टीम को एक साथ लाती है।

अनाउंसमेंट के बारे में बात करते हुए, प्रोड्यूसर वेंकट के. नारायण ने कहा,सिनेमा में बहुत कम पल ऐसे होते हैं जो सच में हिस्टोरिक लगते हैं, और जन नायकन ऐसा ही एक पल है। जैसे ही थलपति विजय बड़े पर्दे पर अपनी आखिरी फिल्म के लिए तैयार हो रहे हैं,हमें इस सफर का हिस्सा बनकर और दुनिया भर में उनके फैंस के लिए यह खास फिल्म लाकर गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने आगे कहा, सिनेमा से शुरू हुई और लाखों लोगों को इंस्पायर करने वाली, आखिरकार उन्हें तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर बनाने वाली एक ऐसी जर्नी देखना शानदार रहा है, जो लोगों के साथ उनके खास कनेक्शन का सबूत है। हमें यकीन है कि जन नायकन एक यादगार थिएटर एक्सपीरियंस होगा और एक शानदार करियर के लिए एक सही ट्रिब्यूट होगा। रिलीज़ डेट की अनाउंसमेंट से उस चीज़ के लिए स्टेज तैयार हो गया है जो साल के सबसे बड़े थिएटर इवेंट्स में से एक होने की उम्मीद है, जिसमें फैंस और मूवी देखने वाले सिल्वर स्क्रीन पर एक लीडिंग मैन के तौर पर थलपति विजय के आखिरी चैप्टर का जश्न मनाने के लिए तैयार हैं।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 से शगुन शर्मा की विदाई, परी विरानी के किरदार को कहा अलविदा

लोकप्रिय टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में परी विरानी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री शगुन शर्मा ने शो से बाहर होने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। शो में 10 साल की कहानी के लीप के बाद शगुन ने अपने सफर को खत्म करते हुए सोशल मीडिया पर एक भावुक विदाई संदेश साझा किया। शगुन शर्मा ने बुधवार (15 जुलाई) को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शो से जुड़ी कई यादगार तस्वीरें साझा कीं। इन तस्वीरों में उनके साथ शो के कलाकारों और टीम के सदस्यों के साथ बिताए गए खास पल नजर आए। उन्होंने अपने पोस्ट में शो का हिस्सा बनने के अनुभव को बेहद खास बताया और सभी का आभार जताया। अभिनेत्री ने लिखा कि परी विरानी का किरदार निभाना उनके लिए हमेशा यादगार रहेगा। उन्होंने इस किरदार को निभाने का मौका देने के लिए शो की निर्माता एकता कपूर, बालाजी टेलीफिल्म्स और पूरी टीम का धन्यवाद किया। परी के किरदार से मिली नई पहचान क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में शगुन शर्मा ने परी विरानी की भूमिका निभाई थी। इस किरदार के जरिए उन्होंने दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। शो में उनके अभिनय को दर्शकों का प्यार मिला और परी का किरदार कहानी का अहम हिस्सा रहा। शगुन ने अपने विदाई संदेश में कहा कि इस शो के साथ जुड़ना उनके करियर का एक महत्वपूर्ण अनुभव रहा। उन्होंने शूटिंग के दौरान मिले प्यार, सहयोग और सीख को हमेशा याद रखने की बात कही। स्मृति ईरानी और अमर उपाध्याय के साथ शेयर की तस्वीरें शगुन ने अपनी पोस्ट में शो के प्रमुख कलाकारों के साथ पर्दे के पीछे की कई तस्वीरें भी साझा कीं। इनमें स्मृति ईरानी, अमर उपाध्याय, निर्वाण आनंद और अन्य कलाकारों के साथ उनके खास पल शामिल थे।

राम गोपाल वर्मा : सेंसर पर बैन लगना चाहिए

जाने-माने फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने बुधवार को कहा कि फिल्मों को सेंसर करना असल में दर्शकों का अपमान है। उन्होंने सेंसरशिप पर बैन लगाने की मांग की। अपनी टाइमलाइन पर यह लिखने के लिए कि उन्हें सेंसरशिप क्यों ज़रूरी नहीं लगती, राम गोपाल वर्मा ने कहा, ÷फिल्मों को सेंसर करना असल में दर्शकों का अपमान है। स्मार्टफोन, ग्लोबल स्ट्रीमिंग और अनगिनत जानकारी तक पहुंच के ज़माने में, यह दिखावा करना कि सरकार की बनाई कमेटी (इसके सदस्यों की क्या क्वालिफिकेशन है?) बड़ों को फिल्म बनाने वालों के किसी भी सच के नजरिए से बचा सकती है, न सिर्फ़ पुराना है, बल्कि बेवकूफी भरा भी है। उन्होंने आगे कहा, यही असली दोगलापन है...अगर कोई बड़ा देश के नेता को वोट देने, परिवार पालने, बिज़नेस चलाने के लिए काफी मैच्योर है,तो वे खुद यह तय क्यों नहीं कर सकते कि उन्हें क्या देखना है? यह बताते हुए कि एक तरफ तो सरकार बड़ों पर बैलेट का भरोसा कर रही थी, जो एक अरब से ज़्यादा लोगों का भविष्य बनाता है, वहीं दूसरी तरफ यह सोच रही थी कि फिल्म का एक सीन उन्हें बिगाड़ सकता है। डायरेक्टर ने कहा, यह समाज को सुरक्षित नहीं कर रहा है बल्कि उसे बचकाना बना रहा है...और आगे कहा, एक 18 साल का लड़का लीडर चुन सकता है,लेकिन उसे यह तय करने के लिए किसी रैंडम कमेटी मेंबर की ज़रूरत होती है कि गाली सुनना या शॉट देखना गलत है या नहीं। यह कहते हुए कि एक फिल्म एक फिल्म मेकर के नज़रिए से ड्रामैटिक कहानी होती है और यह दर्शकों का अधिकार है कि वे सहमत हों या असहमत,राम गोपाल वर्मा ने कहा, सिनेमाघरों में रिलीज़ के लिए एक सीन काटना मज़ाकिया है क्योंकि बिना काटे वर्शन कुछ ही घंटों में टोरेंट, टेलीग्राम और सभी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा। राम गोपाल वर्मा ने कहा कि सेंसरशिप कंटेंट को छिपाती नहीं है, बल्कि असल में ज़्यादा डिमांड पैदा करती है।

खेल समाचार

वर्ल्ड कप में नई जंग का आगाज

सुपर सीरीज से लेकर एलिमिनेटर तक होंगे मुकाबले

नई दिल्ली,15 जुलाई 2026। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पुरुषों के वनडे और टी 20 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में बड़ा बदलाव किया है। आईसीसी बोर्ड ने एडिनबर्ग में हुई सालाना बैठक में चीफ एग्जीक्यूटिव्स कमिटी की सिफारिशों के बाद नए नियमों को मंजूरी दी है। आईसीसी का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य बड़े टूर्नामेंटों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और मैचों के नतीजों को अधिक प्रभावी बनाना है। आईसीसी के नए फॉर्मेट के तहत अब ग्रुप स्टेज में बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीमों को आगे के दौर में ज्यादा फायदा मिलेगा। टीमों की रैंकिंग और ग्रुप में स्थान के आधार पर टूर्नामेंट के अगले चरणों में उनकी राह आसान होगी।

2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में पहले की तरह 14 टीमें हिस्सा लेंगी, लेकिन नॉकआउट चरण से पहले टूर्नामेंट का प्रारूप पूरी तरह बदल जाएगा। नए फॉर्मेट के अनुसार, वनडे वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल और फाइनल से पहले तीन चरण होंगे। सबसे पहले 12वीं, 13वीं और 14 वीं रैंक वाली टीमें 'सुपर सीरीज' चरण में खेलेंगी। इस चरण में बेहतर प्रदर्शन करने

वाली एक टीम अगले दौर में जगह बनाएगी। इसके बाद कुल 12 टीमों को दो ग्रुप में बांटा जाएगा, जिनमें छह-छह टीमें शामिल होंगी। इस चरण में कुल 30 मुकाबले खेले जाएंगे। दोनों ग्रूप से शीर्ष तीन टीमें अगले चरण यानी सुपर-7 में प्रवेश करेंगी। सुपर-7 चरण में सात टीमें राउंड रॉबिन फॉर्मेट में एक-दूसरे से मुकाबला करेंगी। इस चरण में कुल 21 मैच खेले जाएंगे। इसके बाद अंक तालिका में शीर्ष चार स्थान हासिल करने वाली टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी।

सेमीफाइनल में पहले स्थान पर रहने वाली टीम का मुकाबला चौथे स्थान वाली टीम से होगा, जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम तीसरे स्थान वाली टीम से भिड़ेगी। इस बदलाव के बाद पुरुष वनडे वर्ल्ड कप में कुल 57 मुकाबले खेले जाएंगे।

इससे पहले वनडे वर्ल्ड कप के मौजूदा फॉर्मेट में 14 टीमों को सात-सात के दो ग्रूप में बांटा जाता था। दोनों ग्रुप से शीर्ष तीन टीमें सुपर-6 चरण में पहुंचती थीं। इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले जाते थे। उस फॉर्मेट में कुल 54 मैच होते थे। वहीं, टी20 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में भी बदलाव किए गए हैं। हालांकि आईसीसी ने इसके विस्तृत प्रारूप की जानकारी अभी साझा नहीं की है। पुरुष टी20 वर्ल्ड क प 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा।

यमल फ्रांस को हराकर स्पेन विश्व कप फाइनल में

नई दिल्ली,15 जुलाई 2026। स्पेन के युवा फुटबॉल स्टार लैमिन यमल ने फीफा विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराने के बाद अब अपना पूरा ध्यान फाइनल मुकाबले पर केंद्रित कर दिया है। स्पेन की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले यमल ने सोशल मीडिया के जरिए साफ कर दिया कि टीम अब खिताब जीतने के लक्ष्य के साथ न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए तैयार है। स्पेन के फीफा विश्व कप फाइनल में जगह बनाने के तुरंत बाद 19 वर्षीय यमल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैच से जुड़ी तस्वीरें साझा कीं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, नुएवायोल वामोस पोर टी, जिसका अर्थ है, न्यूयॉर्क, हम आपके लिए आ रहे हैं। यमल के इस संदेश ने टीम के आत्मविश्वास और खिताबी जुनून को दिखाया। फ्रांस के खिलाफ जीत में चमके यमल स्पेन ने सेमीफाइनल मुकाबले में फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। आर्लिंगटन के एटी एंड टी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में स्पेन ने बेहद संयमित और रणनीतिक खेल दिखाया। लैमिन यमल ने इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया और टीम की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। युवा खिलाड़ी ने अपनी तेज गति, शानदार ड्रिब्लिंग और रचनात्मक खेल से फ्रांस की डिफेंस लाइन को लगातार चुनौती दी।

दूसरे ओडीआई से पहले टीम इंडिया की बढ़ी चिंता

नई दिल्ली,15 जुलाई 2026। भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला गुरुवार (16 जुलाई) को कार्डिफ में खेला जाएगा। पहले वनडे में शानदार जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना चुकी भारतीय टीम की नजर अब सीरीज पर कब्जा जमाने पर है। हालांकि, दूसरे मुकाबले से पहले कप्तान शुभमन गिल की फिटनेस और अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा की फॉर्म टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। पहले वनडे में भारत ने बर्मिंघम में इंग्लैंड को छह विकेट से हराकर सीरीज में बढ़त हासिल की थी। टीम के लिए यह जीत कई मायनों में अहम रही, क्योंकि इंग्लैंड की धरती पर लंबे समय बाद

भारतीय टीम ने वनडे मुकाबले में दबदबा दिखाया। लेकिन इस जीत के बावजूद कुछ कमजोरियां सामने आईं, जिन पर टीम मैनेजमेंट को ध्यान देना होगा। सबसे बड़ी चिंता कप्तान शुभमन गिल की फिटनेस को लेकर है। गिल टीम के अहम बल्लेबाज होने के साथ-साथ पहली बार वनडे सीरीज में कप्तानी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ऐसे में उनका पूरी तरह फिट रहना भारतीय टीम के लिए बेहद जरूरी है। पहले मुकाबले के दौरान उनकी फिटनेस को लेकर कुछ सवाल उठे थे, जिसके बाद टीम की नजर उनकी स्थिति पर बनी हुई है। दूसरी ओर, रोहित शर्मा की फॉर्म भी टीम के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। भारतीय कप्तान और अनुभवी ओपनर रोहित लंबे समय से अपनी लय हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में भी उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह टीम को मजबूत शुरुआत देने में नाकाम रहे। ऐसे में दूसरे वनडे में उनकी वापसी पर सभी की निगाहें रहेंगी।

नाम परिवर्तन सूचना

प्रारूप-(एक)

मै सुनील कुमार यादव माता/पिता/पालक का नाम) सुपुत्र/सुपुत्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव गाँव/शहर मकान नंबर 28,यादव पारा श्रीगढ़,अम्बिकापुर, तहसील-अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने नाबालिग सुपुत्र/सुपुत्री का नाम अभिलासा यादव (आर्या यादव) (पुराना नाम) से बदल अभिलाषा यादव (ABHILASHA YADAV(नया नाम) रख लिया है।

पालक
सुनील कुमार यादव
श्रीगढ़,अम्बिकापुर,
जिला-सरगुजा,छत्तीसगढ़

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,छ0ग0

रा.प्र.क्र./ब-121/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक विवेक सिंह आ. आर. के. सिंह जाति क्षत्रिय निवासी बिजली ऑफिस रोड, गांधीनगर अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम नमनाकला स्थित भूमि खसरा नंबर 575/20 रकबा 0.024 हे0 मेसे 0.012 हे0 भूमि को अनावेदक विशाल सिंह आ0 आर0के0 सिंह जाति क्षत्रीय निवासी बिजली आफिस रोड, गांधीनगर अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के पास हक त्याग विलेख निष्पादित किये की अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय सरगुजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो जांच एवं प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 10.08.2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिपाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। विषय सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा।

आज दिनांक 14/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील
तहसीलदार
अंबिकापुर,सरगुजा

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,छ0ग0

रा.प्र.क्र./अ-6/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक कमला देवी पति राजाराम प्रसाद निवासी ग्राम नमनाकला तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा ग्राम नमनाकला स्थित भूमि खसरा नंबर 2/512 रकबा 0.040 हे0 भूमि के राजस्व अभिलेखो से मृतक खातेदार शोभा गुप्ता का नाम विलोपित कर फौती नामांतरण दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पेश किया गया है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 22.07-2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांकः- 15/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील
तहसीलदार
अंबिकापुर,सरगुजा

न्यायालय तहसीलदार पटना ,जिला-कोरिया,छ0ग0

रा.प्र.क्र./ब-121/2025-26

ईश्तहार

एतद्द्वारा समस्त ग्रामीण जनता ग्राम पूटा को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका संदीप सिंह आ0/ पति जय प्रकाश सिंह जाति.....निवासी ग्राम पूटा थाना पटना तहसील पटना जिला - कोरिया के द्वारा आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पुत्र/पुत्री पियूष सिंह के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के संबंधी (EWS प्रमाण पत्र) आय प्रमाण पत्र प्रदाय किया जावे। आवेदन पत्र के साथ आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शपथ पत्र, अंकसूची, बी-1 की छायाप्रति संलग्न किया है। अतः जिस किसी हितबद्ध पक्षकार को उक्त प्रमाण पत्र जारी करने से कोई आपत्ति हो तो वह अपना आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभावक के माध्यम से दिनांक 24/07/2026 तक उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, नियत तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा । तद्नुसार कार्यवाही कर दी जावेगी ।

आज दिनांक 09/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया ।

सील
तहसीलदार
पटना,कोरिया

CMYK

इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघों के शिकार पर विधानसभा में हंगामा

महंत ने उठाए सवाल...वन मंत्री बोले- किसी को नहीं बचाया,41 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर,15 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघों के शिकार और वन्यजीव तस्करी का मुद्दा जोरदार तरीके से गूंजा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए पूछा कि मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र पुलिस के इंटेलिजेंस सेल से जुड़े जवान का नाम पहले सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया और क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक संरक्षण या सिंडिकेट काम कर रहा है। महंत ने कहा कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो पहले ही संवेदनशील इलाकों में शिकार और तस्करी को लेकर अलर्ट जारी कर चुका था, इसके बावजूद वन विभाग प्रभावी कार्रवाई नहीं कर सका। उन्होंने आरोप लगाया कि टाइगर रिजर्व में चोरी की घटना के दौरान कैमरे दो घंटे तक बंद रहे और सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि पिछले 30 महीनों में छह बाघों की मौत हुई है। इसके जवाब में वन मंत्री केदार कश्यप ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी आरोपी को बचाने या उसका नाम छिपाने की कोशिश नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व में लगे 126 कैमरे पूरी तरह कार्यरत हैं और कैमरे बंद होने की बात तथ्यहीन है। सरकार बाघ संरक्षण को लेकर गंभीर है तथा दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघों की मौजूदा संख्या और बजट की जानकारी मांगी। मंत्री कश्यप ने

बताया कि वर्ष 2022 के आकलन के अनुसार रिजर्व में पांच बाघों की पुष्टि हुई थी।सरकार चरणदास महंत ने कहा कि बस्तर में नक्सल गतिविधियां कम होने के बाद अब वन्यजीव तस्कर सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल के महीनों में कई बाघों का शिकार हुआ और महाराष्ट्र पुलिस से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के बावजूद विभाग ने पारदर्शिता नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाघ संरक्षण पर हर साल करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, फिर भी लगातार शिकार की घटनाएं चिंता का विषय हैं। वन मंत्री ने सदन में बताया कि मार्च 2026 में दर्ज एक मामले में एक बाघ की खाल बरामद होने के बाद 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। वहीं 29 जून को मिली सूचना के आधार पर कांकेर जिले में संयुक्त अभियान चलाकर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली निवासी बिरेश्वर गेड़ाम और बाबूराव मडावी को दो बाघों की खाल, 13 मूंछें और एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि बिरेश्वर गेड़ाम महाराष्ट्र पुलिस के इंटेलिजेंस सेल में सिपाही है, जबकि बाबूराव मडावी पुलिस का गोपनीय मुखबिर था।शहर और स्थानीय मार्गदर्शिका मंत्री ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ के बाद छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा पर नेतीवाड़ा गांव में व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान शिकार में इस्तेमाल होने वाले फंदे, चाकू,12 नाखून,चार कैनाइन दांत और इंद्रावती नदी किनारे छिपाकर रखी गई एक और बाघ की खाल बरामद की गई। बरामद सभी नमूनों को डीएनए और वैज्ञानिक जांच के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून भेजा गया है।

नकटी मामले में विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव

नकटी मामले को लेकर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाकर आरोप लगाया कि गरीब परिवारों के मकानों पर की गई कार्रवाई मानवाधिकारों का उल्लंघन है। कांग्रेस ने कहा कि बुलडोजर कल्चर बीजेपी शासित राज्यों में बढ़ रहा है। सरकार ने अपनी ही पार्टी के सांसद का मान नहीं रखा। विपक्ष ने पूरे मामले पर सदन में चर्चा कर सरकार से जवाब मांगा। स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद विपक्ष ने गर्भगृह में जाकर नारेबाजी की। सभी कांग्रेस विधायक निलंबित कर दिए गए।

सरकार बोली...नकटी बुलडोजर कार्रवाई संवैधानिक

सदन में मंत्री टंकराम वर्मा ने नकटी में हुई बुलडोजर कार्रवाई को संवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि सभी अतिक्रमणकारियों को विधिवत नोटिस जारी किया गया था। कब्जा हटाने से पहले सभी को सूचना दी गई थी। बेदखली की कार्रवाई न्यायालयीन प्रक्रिया और कानून के अनुरूप की गई। अतिक्रमणकारियों का पुनर्वास भी किया गया। कार्रवाई के दौरान किसी के घरेलू सामान को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। यह कहना सही नहीं है कि तोड़फोड़ के दौरान क्षेत्र बारिश से प्रभावित था।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री घिरे... अमानक दवा खरीद और भर्ती पर तीखी बहस

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन बेहद हंगामेदार रहा। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने राज्य में अमानक दवाओं की खरीद का संवेदनशील मुद्दा जोर-शोर से उठाया। उन्होंने सरकार से सीधा सवाल किया कि आखिर गुजरात की 'यूनिक्योर इंडिया लिमिटेड' कंपनी की उन दवाओं को छत्तीसगढ़ में क्यों खरीदा गया, जो पहले से ही अमानक घोषित की जा चुकी थीं। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भी सरकार को घेरा और पूछा कि जो दवाइयां गुजरात में प्रतिबंधित हैं,उन्हें छत्तीसगढ़ में अनुमति कैसे मिली? उन्होंने गुजरात की परिपाटी से अलग हटकर छत्तीसगढ़ में अपनाई गई खरीद प्रक्रिया पर सवाल उठाए। विपक्ष के तीखे हमलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य में एहतियात के तौर पर उन दवाओं को बैन कर दिया गया है। मंत्री ने स्वीकार किया कि मेसर्स यूनिक्योर इंडिया लिमिटेड की एस्पिरिन टैबलेट्स को गुणवत्ता मानकों पर विफल रहने के कारण ब्लैकलिस्ट किया गया था, जिसकी सूचना 25 मार्च 2026 को प्राप्त हुई थी। हालांकि, मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंधित दवाओं और खरीदी गई दवाओं की कैटेगरी अलग है। उन्होंने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित दवाओं की खरीद नहीं की गई है, बल्कि नियम के अनुसार एक कंपनी की दो दवाएं बैन होने पर ही पूर्ण कार्रवाई की जाती है। कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने इस पर कड़ा एतराज जताते हुए आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के मरीजों को बिना क्वालिटी की दवाइयां दी जा रही हैं। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या दवाइयों की खरीद से पहले कोई 'प्री-टेस्ट' नहीं कराया जाता? इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सीजीएमएससी के नियमों के तहत पहले से प्री-टेस्ट की व्यवस्था नहीं है,लेकिन दवा आपूर्ति होने के बाद विभागीय लैब में उनकी गुणवत्ता की जांच की जाती है। विपक्ष ने इसे जनता की सेहत के साथ सीधा खिलवाड़ बताते हुए 6 करोड़ रुपये से अधिक की 'अनकोटेड' दवा खरीद पर सवाल खड़े किए। प्रश्नकाल के दौरान वरिष्ठ विधायक धरमलाल कौशिक ने सरकारी मेडिकल संस्थानों में आउटसोर्सिंग के जरिए की जा रही भर्ती के नियमों में धांधली का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या स्वास्थ्य संस्थानों में तैनात किए जाने वाले कर्मियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य है? सदन में उन्होंने गंभीर खुलासा किया कि मेडिकल कॉलेजों में सफाई कर्मचारियों द्वारा मरीजों के गहने चोरी करने,शवगृह से गहने गायब होने और पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं।

नकटी गांव से राजभवन तक कांग्रेस की 'न्याय पदयात्रा' शुरू, पुनर्वास और मुआवजे की मांग तेज

रायपुर,15 जुलाई 2026। नवा रायपुर के नकटी गांव में गरीब परिवारों के मकान तोड़े जाने के विरोध में कांग्रेस ने बुधवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में 'न्याय पदयात्रा' निकाली। नकटी गांव से राजभवन (लोकभवन) तक आयोजित इस पदयात्रा में प्रभावित परिवारों के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और विधायक शामिल हुए। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और उचित मुआवजे की मांग करेगा। करीब 13 किलोमीटर लंबी पदयात्रा नकटी गांव से शुरू होकर पीटीएस चौक,माना, फुंडहर चौक, श्रीराम मंदिर (करेंसी टावर), तेलीबांधा और गौरव पथ होते हुए राजभवन पहुंचेगी। कांग्रेस का आरोप है कि नकटी गांव के 85 प्रभावित परिवारों को अब तक न्याय नहीं मिला है। पार्टी ने मांग

पदयात्रा के दौरान दीपक बैज के पैर में आई मोच

पदयात्रा शुरू होने के कुछ ही समय बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के पैर में मोच आ गई। चोट लगने के कारण वे आगे पैदल नहीं चल सके और इसके बाद कार में सवार होकर पदयात्रा के पीछे-पीछे चलते रहे। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं और प्रभावित ग्रामीणों ने यात्रा जारी रखी।

की है कि प्रत्येक प्रभावित परिवार को नकटी गांव में ही 2,000 वर्गफीट भूमि आवंटित कर पुनर्वास किया जाए तथा मकान तोड़े जाने से हुए नुकसान के अनुरूप उचित मुआवजा दिया जाए। प्रभावित परिवारों ने प्रशासन की ओर से सेक्टर-30 स्थित हाउसिंग बोर्ड के चौथी मंजिल के फ्लैटों में दिए जा रहे अस्थायी आवास को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वे अपने मूल गांव में ही पुनर्वास चाहते हैं। वर्तमान में सभी प्रभावित परिवार गांव में टेंट और टीन शेड में रहकर जीवन-यापन कर रहे हैं।

यातायात व्यवस्था में बदलाव, भारी पुलिस बल तैनात

पदयात्रा को देखते हुए प्रशासन ने पूरे मार्ग पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए बताया है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक श्रीराम मंदिर (करेंसी टावर) से तेलीबांधा थाना तिराहा तक यातायात का दबाव अधिक रहेगा। इस दौरान सर्विस रोड बंद रहेगी तथा महासमुंद से दुर्ग की ओर जाने वाले वाहन चालकों को मुख्य मार्ग का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

छत्तीसगढ़ में अपहरण के मामलों में बढ़ोतरी,रायपुर सबसे आगे

हत्या-लूट के आंकड़ों पर विधानसभा में सरकार का जवाब

रायपुर,15 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में प्रदेश में अपराध की स्थिति को लेकर सरकार ने आंकड़े पेश किए। विधायक उमेश पटेल के सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि पिछले दो वर्षों के दौरान अपहरण के मामलों में अधिकांश जिलों में वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं हत्या और लूट के मामलों में कई जिलों में कमी तो कुछ में बढ़ोतरी देखने को मिली है। गृह मंत्री ने कहा कि हत्या, अपहरण सहित गंभीर अपराधों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है।

समय-सीमा में चालान प्रस्तुत करने, अपराधियों पर निगरानी रखने तथा कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए महिला थाना, साइबर थाना, सामुदायिक पुलिसिंग,जन चौपाल और त्वरित कानूनी कार्रवाई जैसी व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाया गया है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए हेलो सिस्टर अभियान और अभिव्यक्ति मोबाइल ऐप के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तथा 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 के बीच के आंकड़ों के अनुसार,राजधानी रायपुर में अपहरण के सबसे अधिक मामले दर्ज हुए। वर्ष 2024-25 में 524 मामलों की तुलना में 2025-26 में यह संख्या बढ़कर 634 हो गई। बिलासपुर में अपहरण के मामले 331 से बढ़कर 438 और दुर्ग में 229 से बढ़कर 365 हो गए।

छत्तीसगढ़ की जेलें बनीं मौत का ठिकाना? 5 साल में गई 375 कैदियों की जान

रायपुर,15 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ की जेलों में पिछले पांच वर्षों के दौरान कुल 375 कैदियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, जिसके आंकड़े विधानसभा में पेश किए गए हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने स्वीकार किया है कि अब तक 62 मामलों में जांच रिपोर्ट पूरी नहीं हो सकी है, जो जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

इतिहास यह मुद्दा प्रदेश के मानवाधिकारों और जेल सुधारों से सीधे जुड़ा है। जेल अभिरक्षा में लगातार हो रही मौतों और जांच में हो रही देरी ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और चिकित्सा सुविधाओं की पोल खोल दी है, जिससे आम जनता और मानवाधिकार संगठनों में गहरा रोष है। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल द्वारा पूछे गए एक लिखित प्रश्न के जवाब में गृह मंत्री ने 1 जनवरी 2021 से 25 जून 2026 तक का विवरण सदन में रखा। आंकड़ों के अनुसार, इन वर्षों में कुल 375 कैदियों ने जेल के भीतर दम तोड़ा है। इनमें से 373 मामलों में दंडाधिकारी या न्यायिक जांच के आदेश दिए गए थे। राहत की बात यह है कि 2021 और 2023 के सभी मामलों की जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन हालिया वर्षों के आंकड़े चिंताजनक हैं।

महासमुंद में सामूहिक नकल, प्यून समेत 5 दोषी

एजुकेशन सेक्रेट्री ने हाईकोर्ट में दिया जवाब, 12वीं की छात्रा ने किया था स्टिंग

बिलासपुर,15 जुलाई 2026। महासमुंद जिले के भंवरपुर स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूल में 12वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल कराने के मामले में चपरासी समेत 5 शिक्षकों को दोषी मानते हुए चार्जशीट जारी की गई है। विभागीय जांच पूरी होने के बाद उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा सचिव की ओर से दायर शपथपत्र पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर तक के लिए तय की है। दरअसल, 12वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल का मामला सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने मीडिया में प्रकाशित खबरों का स्वतः संज्ञान लिया। इसके बाद मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर सुनवाई शुरू की गई।

12वीं की छात्रा नीता जगत ने परीक्षा केंद्र में हो रही सामूहिक नकल का स्टिंग ऑपरेशन किया था। छात्रा का आरोप है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित जैसे विषयों की परीक्षा में ड्यूटी पर तैनात शिक्षक छात्रों को उत्तर बोल-बोलकर लिखवा रहे थे।

परीक्षा केंद्र में न तो सख्त जांच हो रही थी और न ही मोबाइल पर रोक थी। छात्र और शिक्षक खुलेआम मोबाइल लेकर परीक्षा हॉल में प्रवेश कर रहे थे। छात्रा का आरोप है कि जब उसने नकल का विरोध कर केंद्राध्यक्ष से शिकायत की तो उसे चुप रहने की धमकी दी गई। मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और नकल के झूठे मामले में फंसाने की कोशिश भी की गई। छात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी डेस्क पर पहले से लिखी सामग्री छोड़ दी गई थी और विरोध करने पर उसकी सीट बदल दी गई। आरोप है कि बेहतर परीक्षा परिणाम के दबाव में जिले के कई परीक्षा केंद्रों पर नकल की खुली छूट दी गई।

ग्रामीण विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ना विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में महत्वपूर्ण कदम : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

सीएम साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने 'भावना दीदी की साइंस पाठशाला' को दिखाई हरी झंडी

रायपुर,15 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीकों से जोड़ने और विज्ञान आधारित शिक्षा को नई दिशा देने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने विधानसभा परिसर से 'भावना दीदी की साइंस पाठशाला' के अंतर्गत संचालित निःशुल्क मोबाइल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अत्याधुनिक मोबाइल लैब पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों तक पहुँचकर विद्यार्थियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, ड्रोन, 3डी प्रिंटिंग, कोडिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एयरोमॉडलिंग तथा

ऑगमेंटेड एवं वर्चुअल रियलिटी जैसी आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी आधुनिक विज्ञान और तकनीक की मुख्यधारा से जुड़ें। उन्होंने कहा कि 'भावना दीदी की साइंस पाठशाला' केवल एक मोबाइल लैब नहीं, बल्कि ग्रामीण विद्यार्थियों के सपनों को नई उड़ान देने वाली अभिनव पहल है। यह बच्चों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार, आत्मविश्वास और तकनीकी दक्षता विकसित करने का प्रभावी माध्यम बनेगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज पूरी दुनिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, ड्रोन, डेटा साइंस और डिजिटल तकनीकों की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे समय में यह आवश्यक है कि ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थियों को भी इन उभरती हुई तकनीकों का ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि अवसरों में किसी प्रकार की असमानता न रहे।

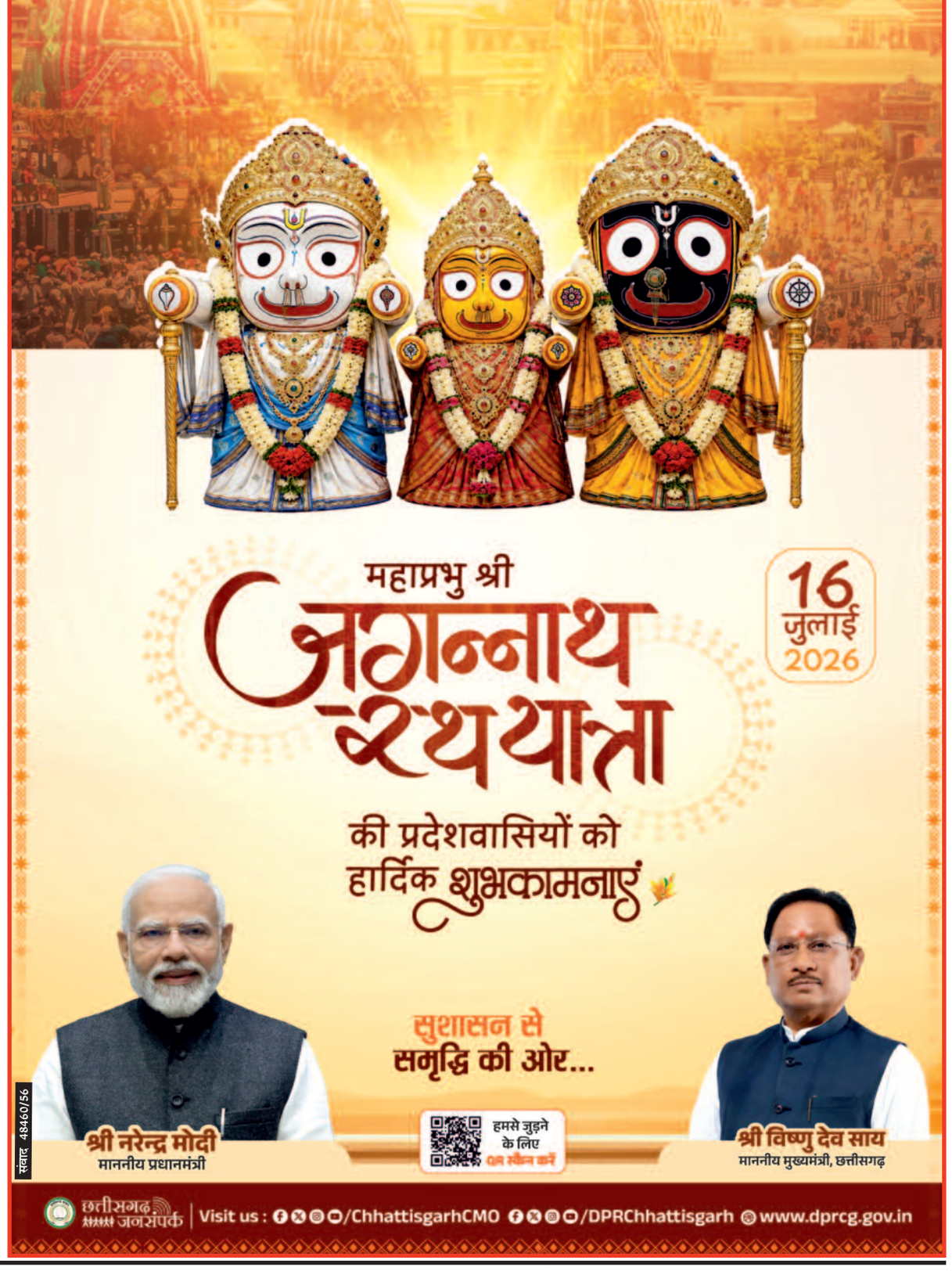

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह*(पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)